44

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

'अनुदानों की मांगो (2022-23)'

{कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के इकतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवी लोक सभा) मे अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

चव्वालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर 2022/अग्रहायण,1944 (शक)

चव्वालीसवां प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

'अनुदानों की मांगो (2022-23)'

{कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के इकतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवी लोक सभा) मे अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

लोक सभा मे प्रस्तुत किया गया 20.12.2022

राज्य सभा के पटल पर रखा गया 20.12.2022

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर 2022/ अग्रहायण,1944 (शक)

सी.ओ.ए.स **456**

मूल्य*: ......***रूपये**

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित और मुद्रित

विषय-सूची

पृष्ठ

समिति (2021-22) की संरचना	....	(iii)
समिति (2022-23) की संरचना	....	(v)
प्राक्कथन	....	(vi)
अध्याय एक	प्रतिवेदन.................................. ...	1
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	19
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरो को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती..................	47
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरो को स्वीकार नहीं किए हैं...	49
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं..	52

अनुबंध

समिति की 08.08.2022 को हुयी 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश 59

परिशिष्ट

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के इकतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण......... 61

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति * की संरचना (2021-22)

श्री पी. सी. गद्दीगौडर - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजल अंसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेंद्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री कनकमल कटारा
7. श्री अबू ताहेर खान
8. श्री मोहन मांडवी
9. श्री किंजरपु राम मोहन नायडू
10. श्री देवजी मानसिंहराम पटेल
11. श्रीमति शारदाबेन अनिलभाई पटेल
12. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
13. श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटील
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. श्री पोचा ब्रहमानंदा रेड्डी
16. श्री राजीव प्रताप रुडी
17. श्री मोहम्मद सादिक़
18. श्री वीरेंद्र सिंह
19. श्री वी.के. श्रीकंदन
20. श्री मुलायम सिंह यादव
21. श्री राम कृपाल यादव

राज्यसभा

22. श्रीमति रमीलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री कैलाश सोनी
24. श्री राम नाथ ठाकुर
25. श्री वाइको
26. श्री हरनाथ सिंह यादव
27. रिक्त#
28. रिक्त#
29. रिक्त#
30. रिक्त
31. रिक्त

---

* बुलेटिन भाग 2 पैरा संख्या 3293 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा कृषि संबंधी स्थायी समिति का नाम बदलकर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया।

श्री प्रताप सिंह बाजवा, सांसद राज्य सभा दिनांक 21.03.2022 से राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे; सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, सांसद राज्य सभा, 09.04.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे और श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, सांसद राज्य सभा, 04.07.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे।

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री शिव कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री सुन्दर प्रसाद दस	-	निदेशक
3.	श्री अनिल कुमार	-	उप सचिव
4.	श्री एस. विजयराघवन	-	कार्यकारी अधिकारी

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री ए. गणेशमूर्ति
5. श्री कनकमल कटारा
6. श्री अबू ताहेर खान
7. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
8. श्री मोहन मण्डावी
9. श्री देवजी मनसिंहराम पटेल
10. श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
11. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
12. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
13. श्री विनायक भाऊराव राऊत
14. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
15. श्री राजीव प्रताप रूडी
16. मोहम्मद सादिक
17. श्री देवेन्द्र सिंह भोले सिंह (ऊर्फ)
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री राम कृपाल यादव

*21. रिक्त

<u>राज्य सभा</u>

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री मस्थान राव बीडा
24. डाअनिल सुखदेवराव . बोंडे
25. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
26. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
27. श्री कैलाश सोनी
28. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री वाइको
31. श्री हरनाथ सिंह यादव

---

* दिनांक 14.10.2022 के बुलेटिन- भाग II, पैरा संख्या 5316 द्वारा 10.10.2022 को श्री मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त ।

प्राक्कथन

मैं, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों(2022-2023)' के इकतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह चव्वालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ|

2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों(2022-2023)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का इकतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई संबंधी टिप्पण 16.06.2022 को प्राप्त हुए थे।

3. समिति ने 08.08.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है |

नई दिल्ली;
08 अगस्त, 2022
17 श्रावण, 1944 (शक)

पी सी गद्दीगौडर
सभापति,
कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के संबंध में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंसकरण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के इकतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है जिसे दिनांक 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा पटल पर रखा गया।

1.2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन में अंतिर्विष्ट सभी 17 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई उत्तर भेज दिया है। इन्हें निम्न प्रकार से श्रेणीवद्ध किया गया है:-

- टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:
  सिफारिश सं. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 16

अध्याय-दो

कुल 13

- टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती।
  सिफारिश सं.-6

अध्याय –तीन

कुल-01

- टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर स्वीकर नहीं किए है:-
  सिफारिश सं.-15

अध्याय-चार

कुल-01

- टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।
  सिफारिश सं. 4 और 17

अध्याय-पांच

कुल-02

1.3 समिति यह चाहती है कि सरकार द्वारा स्वीकृत टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को मंत्रालय द्वारा अत्याधिक महत्व दिया जाये। यदि, मंत्रालय के लिए किसी भी कारण से सिफारिशों को अक्षरशः लागू करना संभव न हो तो मामले को समिति को लागू न किए जाने के कारणों सहित रिपोर्ट किया जाए। समिति यह चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशें पर आगे की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण और अध्याय-पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अन्तिम उत्तर उन्हें अतिशीघ्र प्रस्तुत किए जाए।

1.4 समिति अब अगामी पैराओं में सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

क. मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) का विश्लेषण

सिफारिश संख्या-1

1.5 '' समिति ने यह नोट किया है कि वर्ष 2019-20 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र कथित तौर पर 11.18% की औसत वार्षिक विकास दर से बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्र में से एक है, जिसकी देश में सभी पंजीकृत कारखानों में 12.38% की भागीदारी है। समिति ने यह टिप्पणी की है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष कई प्रशंसनीय विकासात्मक पहलें की गई हैं।

समिति ने इन पहलों की सराहना करते हुए यह भी नोट किया है कि पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए, मंत्रालय ने क्रमशः 2,200 करोड़ रुपये (845.54 करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर), 1,232.94 करोड़ रुपये (1,152.68 करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर) और 3,490.07 करोड़ रुपये (862.60 करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर) की राशि का प्रस्ताव किया था लेकिन वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए क्रमशः 1,042.79 करोड़ रुपये, 1,247.42 करोड़ रुपये और 1,304.12 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए 3,564.92 करोड रुपये प्रस्तावित किए गए, जबकि वित्त मंत्रालय द्वारा बीई 2022-23 के लिए केवल 2,941.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

समिति की यह इच्छा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मंत्रालय द्वारा की गई मांग के अनुसार आरई (2022-23) में 3,564.92 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध करे।

समिति का यह भी सुविचारित मत है कि वर्ष 2019-20 से मंत्रालय आवंटित निधियों का शत-प्रतिशत उपयोग करने में असमर्थ रहा है। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय आबंटित अल्प संसाधनों का शत-प्रतिशत उपयोग के लिए अपनी कार्य योजना पहले से तैयार करे और समस्याओं को पूर्णतः दूर करने के लिए उनके समक्ष आ रहे मुद्दों/चुनौतियों पर विचार करे। समिति यह आशा करती है कि मंत्रालय 2022-23 के दौरान अपने कार्यनिष्पादन में और सुधार करेगा।

1.6 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह बताया है:-

'' माननीय समिति की सिफारिश को वित्त मंत्रालय के साथ उचित समय पर शुरू करने के लिए नोट किया गया है।

मंत्रालय मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (पीएलआईएस) के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवंटित बजट के उपयोग के स्तर में सुधार के लिए कार्यान्वयन और व्यय की बारीकी से निगरानी कर रहा है।

मंत्रालय ने मई, 2021 में एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) भी शुरू की है, जिसके लिए मंत्रालय को आरई 2021-22 में 10.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और वित्त मंत्रालय के समक्ष बीई 2022-23 के लिए 1022.00 करोड़ रुपये की मांग का अनुमान लगाया गया और वांछित निधियां प्राप्त हुई।

वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई, पीएलआईएस और गैर-योजना के अंतर्गत आवंटित निधि तथा उसके उपयोग और वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

करोड़ रुपये में

योजना	बीई 2021-22	आरई 2021-22	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार वास्वतिक व्यय	आरई के संदर्भ में %	बीई 2022-23
पीएमकेएसवाई	700.00	791.00	713.49	90.20	900.00
पीएमएफएमई	500.00	399.00	326.46	81.82	900.00
पीएलआईएस	0.00	10.00	9.27	92.70	1022.00
गैर-योजना	108.66	104.12	98.17	94.29	119.99
कुल	1308.66	1304.12	1147.39	87.98	2941.99

1.7 मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में आवंटित निधियों के लगातार कम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, समिति ने यह सिफारिश की थी कि मंत्रालय आवंटित संसाधनों के शत्-प्रतिशत उपयोग के लिए अग्रिम रूप से अपनी कार्य-योजना तैयार करें और समस्याओं के समाधान के लिए उनके सामने आने वाली समस्याओं/चुनौतियों पर गौर करे। समिति की यह भी इच्छा थी कि मंत्रालय वित्त मंत्रालय को संशोधित अनुमान (2022-23) में 3564.92 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए प्रेरित करे। मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तरों में यह बताया है कि वे आवंटित बजट के उपयोग के स्तर में सुधार करने के लिए कार्यान्वयन और व्यय की निगरानी बारीकी से कर रहे हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफएमई), उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और वर्ष 2021-22 (31.02.2022 तक) के दौरान गैर-योजना शीर्ष एवं बीई 2022-23 के लिए आवंटन के तहत आवंटित धन तथा उसके उपयोग संबंधी विवरण भी प्रदान किया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि वे उक्त योजनाओं के तहत आवंटित बजट के उपयोग के स्तर में सुधार करने के लिए कार्यान्वयन और व्यय की बारीकी से निगरानी कर रहे है। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा समिति की सिफारिशों का वित्त मंत्रालय के साथ उचित समय पर कार्रवाई करने के लिए नोट किया गया है।

मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप आरई 2021-22 में निधियों के उपयोग में सुधार हुआ, समिति ने अपनी पहले की सिफारिशों को दोहराया

और यह इच्छा की है कि मंत्रालय आवंटित निधियों के शत-प्रतिशत उपयोग के लिए उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं/चुनौतियों पर ध्यान दे।

ख मंत्रालय द्वारा उद्धृत प्रस्ताव समस्याओं की अपर्याप्त प्राप्ति के समाधार खोजना

सिफारिश संख्या 2

1.8 समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की:-

''समिति ने यह नोट किया कि सभी नियोजित योजनाओं, विशेष रूप से खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संबंध में, पिछले वर्षों की तुलना में क्रमश: वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए लगातार नकारात्मक भिन्नता रही है। समिति ने मंत्रालय के इस उत्तर को भी नोट किया कि मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) जैसे अनिवार्य आबंटनों के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होना नकारात्मक भिन्नता के कारण थे। समिति अपर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होने संबंधी मंत्रालय के तर्क को अस्वीकार्य करती है क्योंकि मंत्रालय को आयोजना के स्तर पर ही समस्या से उबरने के लिए सुधारात्कत कदम उठाने चाहिए थे। कम प्रस्तावों की प्राप्ति एक स्थायी समस्या बन गई है जो वर्ष-दर-वर्ष दिखाई देती है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केवल मूकदर्शक बना हुआ है। अत: वे सिफारिश करते हैं कि मंत्रालय वर्ष 2022-23 के दौरान इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए और तदनुसार समिति को अवगत कराए।''

1.9 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह बताया:-

'' खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र से परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातिय उप-योजना (टीएसपी) के अनिवार्य आवंटन के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास कर रहा है ताकि इन शीर्षों के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। योजनाओं के दिशा-निर्देश पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमोटरों के लिए अनुमोदित परियोजनओं को विभिन्न रियायतें प्रदान करते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने और उनके सामने आने वाली समस्याओं/समस्याओं का पता लगाने के लिए

एनईआर के प्रमोटरों/निवेशकों के साथ नियमत रूप से आभासी बैठकें आयोजित कर रहा है। मंत्रालय प्रमोटरों/कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने में मदद करने और कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी से बचने के लिए राज्य सरकारों को यदि आवश्यक हो तो पत्र भी लिखता है।

योजना स्तर पर ही इन मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति के निर्देश के अनुसार, मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श से प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं की संरचना और तीसरे पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों की समीक्षा की है। विचार-विमर्श के बाद मंत्रालय ने मेगा फूड पार्क स्कीम, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम, एचआरआई-कौशल विकास योजना और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना के एचएसीसीपी घटक के अंतर्गत किसी भी नई परियोजना को स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का दायरा टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) से बढ़ाकर 22 खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है। पुनर्गठित पीएमकेएसवाई को दिनांक 31.03.2026 तक 4600 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। मंत्रालय एनईआर/एससी/एसटी के प्रमोटरों को घटक योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रेरित करने हेतु और अधिक ठोस प्रयास करेगा।''

1.10 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी प्रमुख योजनाओं के लिए उत्तरपूर्वी क्षेत्र (एनईआर), अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) जैसे अनिवार्य आवंटनों के तहत प्रस्तावों की अपर्याप्त प्राप्ति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, समिति की यह इच्छा थी कि मंत्रालय को योजना स्तर पर इस समस्या को दूर करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए थे। समिति ने यह महसूस किया कि अपर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति वर्ष दर वर्ष सामने आने वाली एक आवर्ती समस्या है और मंत्रालय केवल मूकदर्शक बनकर रह गया है।

मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह बताया है कि वे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ एससीएसपी एवं टीएसपी के अनिवार्य आवंटन के लिए सचेत प्रयास कर रहे हैं ताकि इन शीर्षों के तहत बजटीय प्रावधानों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकें। इसके अतिरिक्त, योजना स्तर पर ही इन मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति के निर्देश के अनुसार, मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श से प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना की घटक योजनाओं और प्रतिवेदनों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन की संरचना की समीक्षा की है। पूनगर्ठित

पीएमकेएसवाई को कार्यान्वयन हेतु 31.03.2026 तक 4600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

तथापि, समिति निधियों के उपयोग के संबंध में मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और इसलिए, अपनी सिफारिश को दोहराती है कि मंत्रालय को 2022-23 के दौरान इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और तदनुसार समिति को अवगत किया जाए।

ग. खराब होने वाली वस्तुओं का खाद्य प्रसंस्करण

सिफारिश संख्या 4

1.11 समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की-

''समिति पाती है कि भारत में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादों के उत्पादन के बावजूद, खाद्य मुद्रास्फीति और खाद्य प्रतिभूति का मुद्दा देश में नीति निर्माताओं के लिए प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि वे नागरिकों की पर्याप्त, स्वस्थ और किफायती भोजन की बुनियादी आवश्यकता को प्रभावित करते हैं।

समिति का मानना है कि सीआईपीएचईटी, लुधियाना द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख कृषि उत्पादों की फसल और कटाई के बाद की हानि 92,651 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चूंकि देश में अधिकांश आबादी किफायती मूल्यों पर भोजन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं अतः, लोग अल्पपोषित है जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा इससे उत्पादन के बाद की प्रक्रिया और शीत श्रृंखला प्रबंधन में खामियों का पता चलता है।

समिति का मानना है कि हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ कम होती है और उन्हें एक विशिष्ट तापमान पर रखे जाने की आवश्यकता होती है लेकिन देश भर में अपर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं के कारण फलों और सब्जियों का बड़ा प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। समिति का मानना है कि देश के दूरदराज के स्थानों में शीत श्रृंखला भंडारण की स्थापना नहीं की जाती है और कुछ क्षेत्रों में वे सुलभ नहीं हैं क्योंकि वहां कोई उचित अवसंरचना नहीं है।

अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस समस्या की पहचान करके इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करे और खराब होने वाले उत्पादों के लिए शीत श्रृंखलाएं स्थापित करे क्योंकि उनका एक विशिष्ट तापमान पर भंडारण करना पड़ता है। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।''

1.12 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में कहा है: -

"खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) 2016-17 से 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" (संक्षेप में, पीएमकेएसवाई) नामक एक वृहद् योजना लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई को एक व्यापक पैकेज के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप फार्म गेट से खुदरा आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है बल्कि किसानों को बेहतर आमदनी प्रदान करने में भी मदद मिलेगी और यह किसानों की आय को दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।

2018-19 के दौरान, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसल मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए पीएमकेएसवाई के तहत एक नई उप-योजना के रूप में एक नई योजना 'ऑपरेशन ग्रीन्स' शुरू की गई थी। इस योजना की घोषणा 2018-19 के केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ की गई थी ताकि टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों के लिए एफपीओ, एग्री लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। यह योजना नवंबर 2018 में पायलट आधार पर शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य चयनित समूहों में टीओपी फसलों के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देना था। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में निम्नलिखित दो उपाय शामिल हैं -

(क) <u>अल्पकालिक उपाय</u> - इस घटक के अंतर्गत परिवहन और/अथवा भंडारण राजसहायता योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दावेदारों को 'आधिक्य की स्थिति' के दौरान 50% की राजसहायता प्रदान की जाती है। 11.06.2020 से अल्पकालिक उपायों का दायरा टीओपी (टमाटर, प्याज और आलू) से समस्त (41 अधिसूचित फल और सब्जियां) तक बढ़ाया गया था।

(ख) <u>दीर्घावधिक उपाय</u> - इस घटक के अंतर्गत, मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को अनुदान सहायता के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन परियोजनाओं को एकीकृत मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में चयनित समूहों में कार्यान्वित किया जाता है। बजट घोषणा 2021-22 के अनुसरण में, दीर्घकालिक रणनीति का दायरा टीओपी से बढ़ाकर 10 फलों, 11 सब्जियों और झींगा सहित 22 खराब होने वाली वस्तुओं तक बढ़ाया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के उत्पादन आंकड़ों के आधार पर प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन समूहों की संबंधित फसलों के लिए पहचान की गई है और संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन्हें अधिसूचित किया जाना है। इस योजना के तहत अब तक छह परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक अन्य उप-योजना जो अत्यधिक खराब होने वाले फलों और सब्जियों से संबंधित है, वह है ''समेकित शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना'' जो 2008-09 से कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना का उद्देश्य फार्म गेट से अंतिम उपभोक्ता तक बिना किसी विराम के एकीकृत शीत श्रृंखला अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है। इसमें संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ अवसंरचना सुविधा अर्थात् प्री-कूलिंग, तौल, छंटाई, ग्रेडिंग, फार्म स्तर पर वैक्सिंग सुविधाएं, बहु-उत्पाद/बहु-तापमान शीत भंडारण, सीए भंडारण, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केन्द्र में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, बागवानी, जैविक उत्पाद, समुद्री, डेयरी, मांस और कुक्कुट पालन आदि के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए सचल शीतलन इकाइयां शामिल हैं। यह योजना खेत में शीत श्रृंखला अवसंरचना के सृजन पर विशेष बल देते हुए परियोजना की आयोजना में लचीलेपन की अनुमति देती है। समेकित शीत श्रृंखला परियोजना की स्थापना भागीदारी/स्वामित्व फर्मों, कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), गैर-सरकारी संगठनों, केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा की जा सकती है बशर्ते कि योजना के दिशानिर्देशों की पात्रता शर्तों को पूरा किया जाए।

पीएमकेएसवाई के तहत उपर्युक्त दोनों उप-योजनाएं 2025-26 तक लागू की जाएंगी।

संशोधित योजना के दिशा-निर्देश अंतिम रूप देने के चरण में हैं और नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) दिशा-निर्देश अधिसूचित होने के बाद जारी किए जाएंगे।

यह भी नोट किया गया है कि ये स्कीमों की प्रकृति मांग आधारित हैं और इसलिए पात्र और इच्छुक उद्यमियों/प्रवर्तकों से ईओआई के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। तदनुसार, ईओआई की तुलना में प्राप्त प्रस्तावों में से, योजना के दिशानिर्देशों के संदर्भ में परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाता है।

1.13 देश के दूरदराज के स्थानों में शीतागार सुविधाओं की कमी के कारण हरी पत्तेदार सब्जी जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के नुकसान पर व्यथित होते हुए और ऐसे क्षेत्रों में जो उचित अवसंरचना नहीं होने के कारण आसानी से सुलभ नहीं हैं, जिससे अंततः देश में प्रमुख कृषि उपज की हानि होती है, समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय समस्याओं की पहचान करके इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करे और जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए शीत श्रृंखला स्थापित करे क्योंकि उन्हें एक विशिष्ट तापमान पर रखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि वे 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' नामक एक वृहद योजना कार्यान्वित कर रहे हैं जिसे एक व्यापक पैकेज के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप फार्म गेट से खुदरा बिक्री केन्द्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इसके अतिरिक्त, एक नई उप-योजना के रूप में 'ऑपरेशन ग्रीन्स' नामक एक नई स्कीम शुरू की गई थी, इस स्कीम में अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय हैं और इसके अलावा अत्यधिक खराब होने वाले फलों और सब्जियों के समाधान के लिए 'समेकित शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना' 2008-09 से कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना का उद्देश्य खेत से उपभोक्ता तक बिना किसी विराम के एकीकृत शीत श्रृंखला अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है।

समिति ज्ञात तथ्यों वाले मंत्रालय के उत्तर से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि मंत्रालय उचित अवसंरचना की कमी के साथ देश के दूरदराज के स्थानों में खराब होने वाले खाद्य/सब्जियों/उत्पादों के लिए शीत श्रृंखला स्थापित करने के लिए समस्याओं की पहचान करने के मुद्दे को हल करने का प्रयास करने के स्थान पर, वे अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में कमियों आदि को दूर करने की अनावश्यक आशा में अपनी मौजूदा योजनाओं/उप-योजनाओं के कुछ दिशा-निर्देशों के संशोधनों पर जोर देते रहे हैं। समिति का मानना है कि वर्ष 2008-09 में इस योजना *अर्थात* समेकित शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना के कार्यान्वयन के बाद से आज तक इस मुद्दे का समाधान खोजने के मुख्य मुद्दे की पहचान नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर फसल कटाई और कटाई के बाद के वर्ष भर 92,651 करोड़ रूपये के अत्यधिक

नुकसान होने का अनुमान है। अतः,समिति एक बार फिर अपनी सिफारिश दोहराती है कि मंत्रालय समस्याओं की पहचान करके इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करे और समिति को सूचित करते हुए शीघ्र खराब होने वाले खाद्य/सब्जियों/उत्पादों के लिए शीत श्रृंखला स्थापित करे।

घ. एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना के लिए अवसंरचना

सिफारिश संख्या 10

1.14 समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की-

"समिति नोट करती है कि 2017 के दौरान शुरू की गई योजना का उद्देश्य उत्पादन क्षेत्रों के करीब खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना, उपभोक्ताओं को खेत से एकीकृत और पूर्ण संरक्षण अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना और उत्पादकों/किसानों के समूहों को अच्छी तरह से सुसज्जित श्रृंखला के माध्यम से प्रसंस्करों और बाजारों से जोड़कर प्रभावी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाना था।

बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की तुलना में मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। समिति ने मंत्रालय के इस उत्तर पर भी ध्यान दिया कि उन्होंने 2017-18 में 68 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इस योजना की शुरुआत के बाद से केवल 12 परियोजनाएं ही पूरी हुई हैं। यह मंत्रालय द्वारा गैर-संतोषजनक नियोजन के साथ-साथ गैर-संतोषजनक कार्यान्वयन को भी दर्शाता है।

समिति ने यह भी पाया कि 2020-21 के लिए, 56.69 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और वास्तविक व्यय 48.47 करोड़ रुपये हुआ था जो 85.50% है और 2020-21 के दौरान कम उपयोग का कारण शायद एससीएसपी और टीएसपी के तहत अपर्याप्त पात्र प्रस्ताव थे। 2021-22 के लिए, 53.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और 14.02.2022 तक खर्च केवल 34.25 करोड़ रुपये हुआ था और कम उपयोग का कारण यह था कि तीसरे एसडीजी की प्रतीक्षा की जा रही है। मंत्रालय द्वारा बताया गया कारण सही नहीं है क्योंकि अनुपूरक अनुदानों की मांगों में केवल अतिरिक्त निधियां दी जाएंगी।

समिति का मानना है कि 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान पीएमकेएसवाई के पुनर्गठन घटकों में चुनौतियों/बाधाओं का समाधान खोजकर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर (एपीसी) योजना को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जाए और इस योजना को देश के सभी गांवों में कार्यान्वित किया जाए।

अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस योजना में परियोजनाओं की स्थापना के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए इस योजना को युद्ध स्तर पर लागू करने का प्रयास करे।

1.15 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि: -

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में कृषि प्रसंस्करण समूहों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 2017 से कृषि प्रसंस्करण समूहों (एपीसी) के लिए अवसंरचना के निर्माण के लिए योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक अवसंरचना का विकास करना है। इन समूहों का विकास अधिशेष उपज की हानि को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने के लिए बागवानी/कृषि उत्पादों में मूल्य बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

यह पाया गया है कि एपीसी की स्थापना से पहले विभिन्न अनुपालन जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन, भवन लेआउट योजना का अनुमोदन, भूमि का कब्जा और उस पर किसी प्रकार की देनदारी को हटाना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति, ऋण देने वाले बैंक / वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधि ऋण की मंजूरी अधिक समय लेने वाली प्रक्रियाएं हैं जिनमें लगभग 6 महीने या उससे भी अधिक समय लगता है। अतः, इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को वास्तव में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने और पूरा करने के लिए केवल 14-18 महीने मिलते हैं (निर्धारित समय सीमा - सामान्य क्षेत्रों में 20 महीने और दुर्गम क्षेत्रों में 24 महीने)। इसलिए, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है। परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए, मंत्रालय ने संशोधित एपीसी योजना दिशा-निर्देश दिनांक 04.12.2020 के तहत सामान्य क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को पूरा करने की समय अवधि को पहले के 20 महीने से बढ़ाकर 24 महीने और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 24 महीने से बढ़ाकर 30 महीने कर दिया है।

यह भी नोट किया जा सकता है कि कोविड -19 महामारी के कारण बाधाओं के बावजूद, इस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-22 के दौरान 38 (अड़तीस) नई परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 68 (अड़सठ) हो गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अंतर्गत ब.अ. स्तर पर 37.50 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया। इस योजना के अंतर्गत 37.50 करोड़ रूपए की आबंटित निधि को विभिन्न शीर्षों के तहत संवितरण किया गया (इसे निम्न सारणी में देखा जा सकता है। जीआईए जनरल (30.00 करोड़ रुपये) और जीआईए टीएसपी श्रेणी (1.30 करोड़ रुपये) को आवंटित निधियां दिनांक 14.02.2022 से पहले ही समाप्त हो चुकी थी। तथापि, जीआईए जनरल के तहत निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता थी और इसलिए मंत्रालय संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। निधियों का आवंटन (बजट अनुमान स्तर पर प्राप्त) तथा संशोधित अनुमान स्तर पर निधियां प्राप्त होने से पहले तथा उसके पश्चात व्यय निम्नलिखित है:

बजट शीर्ष	बजट अनुमान	दिनांक 14.02.2022 से पहले वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय
पेशेवर सेवाएं	0.20	0.20	0.40	0.40
अनुदान सहायता - सामान्य	30.00	30.00	42.03	42.03
अनुदान सहायता-सामान्य-एससीएसपी	2.00	0	2.00	1.35
अनुदान सहायता-सामान्य-टीएसपी	1.30	1.30	5.47	1.30
अनुदान सहायता (एनईआर)	4.00	2.7489	4.00	4.00
कुल	37.5	34.2489	53.9	49.08

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पेशेवर सेवाओं, जीआईए जनरल और जीआईए एनईआर योजना के शीर्षों के लिए आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया गया था। जीआईए जारी करने के लिए पर्याप्त पात्र प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण केवल जीआईए एससीएसपी और जीआईए टीएसपी

शीर्षों में निधियों का कम उपयोग किया गया था। कुल मिलाकर, मंत्रालय ने संशोधित अनुमान चरण में आवंटित कुल निधियों का 91.05 प्रतिशत उपयोग किया है।

जहां तक प्रस्तावों के चयन का संबंध है, मंत्रालय अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से इच्छुक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, उन जिलों को छोड़कर जहां मंत्रालय द्वारा पहले ही मेगा फूड पार्क स्वीकृत किया गया है, प्रति जिले में एक एपीसी स्वीकृत की जा सकती है। इसके अलावा, एपीसी में सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एपीसी में कम से कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। ये इकाइयां एपीसी के आसपास स्थित गांवों से प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल का उपयोग कर सकती हैं।

यह उल्लेख किया गया है कि मंत्रालय नियमित आधार पर समीक्षा बैठकों, आभासी सत्यापन और वास्तविक साइट निरीक्षण के माध्यम से भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि निधियों का समय पर उपयोग और एपीसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

1.16 इस योजना में परियोजनाओं की स्थापना के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए, युद्ध स्तर पर कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) स्कीम को कार्यान्वित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए समिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि चुनौतियों/बाधाओं के समाधान का पता लगाकर इस योजना को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जाए ताकि इस योजना को देश के सभी गांवों में कार्यान्वित किया जा सके। मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में यह कहा है कि इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आधुनिक अवसंरचना का विकास करना है। जहां तक प्रस्तावों के चयन का संबंध है, मंत्रालय अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से इच्छुक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, उस जिले को छोड़कर जहां मेगा फूड पार्क पहले से ही स्वीकृत है, प्रति जिला एक एपीसी स्वीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एपीसी में सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एपीसी में 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जानी अपेक्षित है। समिति ने आगे यह नोट किया है कि उत्तर के अनुसार कुल 68 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मंत्रालय ने संशोधित अनुमान स्तर पर आबंटित कुल

निधियों का 91.05% उपयोग किया है और अनुदान सहायता टीएसपी और अनुदान सहायता एससीएसपी के लिए निधियों का उपयोग अनुदान सहायता के लिए पर्याप्त पात्र प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कम किया गया था। समिति का यह मानना है कि मंत्रालय ने केवल 68 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और स्वीकृत परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं कार्यशील हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, मंत्रालय ने यह भी नहीं बताया है कि प्रति जिला एक एपीसी कब तक स्थापित किया जाएगा। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि देश के सभी जिलों, विशेषरूप से अति पिछड़े क्षेत्रों, जिलों और दूरस्थ गांवों में जहां लोगों की प्रौद्योगिकियों तक पहुंच नहीं है, जहां कोई उद्यमी एपीसी स्थापित नहीं कर सकता है, में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना को कार्यान्वित करने के मद्देनजर, मंत्रालय को उन क्षेत्रों में पहचान और प्रायोजक आदि जैसे कुछ अन्य साधनों का प्रयास करना चाहिए। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में अवगत होना चाहती है।

**ङ	ऑपरेशन ग्रीन्स**

सिफारिश संख्या 15

1.17 समिति ने निम्नवत् से टिप्पणी/सिफारिश की:—

"वर्ष 2018-2019 के लिए बजट घोषणा के अनुसरण में, एमओएफपीआई ने 500 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना "ऑपरेशन ग्रीन्स" शुरू की है। इस योजना में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि संभार तंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना में निम्नानुसार दो-आयामी रणनीति है :–

(क) अल्पावधि: मूल्य स्थिरीकरण उपाय (परिवहन और भंडारण - 50% सब्सिडी): - फसल कटाई के समय बहुतायतता की स्थिति के दौरान, उत्पादन क्षेत्र से खपत केंद्रों तक अधिशेष उत्पादन को पहुंचाया जाएगा। नेफेड को अल्पकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपायों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा योजना के तहत सभी फलों और सब्जियों के लिए परिवहन

सब्सिडी को दिनांक 12.10.2020 से किसान रेल योजना में विस्तारित किया गया था और कोविड महामारी के बीच आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण माननीय वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के एक हिस्से के रूप में दिनांक 11.06.2020 से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत अल्पकालिक उपायों का दायरा टॉप टू टोटल (41 अधिसूचित फल और सब्जियां) तक बढ़ा दिया गया था जो माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 10.06.2020 को एसएफसी की सिफारिश के आधार पर किया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, किसान रेल और नेफेड द्वारा निपटाए गए प्रत्यक्ष दावों के माध्यम से परिवहन/भंडारण सब्सिडी के लिए कुल 84.37 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(ख) दीर्घकालिक: मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं (अधिकतम 50 करोड़ रुपये के अध्यधीन पात्र परियोजना लागत के {एफपीओ और एससी/एसटी के लिए 70%} 35%-50%की दर से अनुदान): - एकीकृत मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्रत्येक टॉप फसलों के लिए चयनित क्लस्टरों में परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। उत्पादन कलस्टरों में किसानों को उत्पादन, कटाई के बाद की गतिविधियों, मूल्य संवर्धन और टॉप उत्पाद के विपणन का प्रबंधन करने के लिए एफपीओ में संगठित किया जाएगा। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अनुसरण में, दीर्घकालिक रणनीति का दायरा टॉप से 22 खराब होने वाली वस्तुओं तक बढ़ाया जा रहा है। समिति ने यह नोट किया है कि इस योजना के शुरू होने के बाद से प्राप्त 42 प्रस्तावों में से 28 को योजना के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण और अपात्र पाया गया था, 11 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था और 3 मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन हैं। अनुमोदित 11 प्रस्तावों में से, 3 को प्रवर्तकों द्वारा वापस ले लिया गया था, 2 को रद्द कर दिया गया था और 6 परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं और इनमें से 2 परियोजनाओं के मार्च, 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

समिति यह नोट करके निराश है कि इस योजना के शुरू होने के 3 वर्षों के बाद भी इसमें बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है और मार्च, 2023 तक केवल 2 परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है। समिति का यह मानना है कि इतनी धीमी प्रगति के साथ इस योजना का उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है क्योंकि आज तक फलों और सब्जियों के उत्पादक को तब अपने उत्पाद को औने-पौने दाम में बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब अधिशेष उत्पादन होता है या शीत

भण्डारण की कमी के कारण अपने खराब होने वाले उत्पादों को संग्रहीत करने में सक्षम नहीं होता है।

अत: समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को संबंधित राज्य कृषि और अन्य विपणन परिसंघों, एफपीओ, सहकारी कंपनियों और स्व-सहायता समूहों को शामिल करके किसानों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़कर टमाटर, प्याज और आलू और टॉप टू टोटल स्कीम में अधिसूचित सभी फलों और सब्जियों के विपणन को संगठित करने के लिए बिना समय गवाए एक रणनीति बनानी चाहिए। समिति का यह मानना है कि इससे न केवल खराब होने वाली उपज के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को भी हासिल किया जा सकता है।"

1.18 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह कहा है:-

मंत्रालय दीर्घकालिक रणनीति अर्थात योजना की मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना के अंतर्गत अनेक घटकों जैसे एफपीओ का क्षमता निर्माण, गुणवत्ता उत्पादन, फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाओं, भंडारण सुविधाओं, कृषि संभारतंत्रों तथा विपणन अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पंद्रहवां वित्त आयोग चक्र अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान इस योजना को जारी रखने के संबंध में मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 22 फसलों के लिए योजना दिशानिर्देशों का संशोधन हो रहा है तथा इसे शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार 80 परियोजनाओं का अनुमोदन होना है तथा इसे दिनांक 31.03.2026 तक पूरा किया जाएगा। तदनुसार, संशोधित योजना दिशानिर्देशों की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद चयनित उत्पादन क्लस्टरों में 22 फसलों के लिए मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की जाएगी तथा 80 परियोजनाओं का अनुमोदन किया जाएगा। सामान्य क्षेत्र के लिए परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि 24 माह तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 30 माह होगी और तदनुसार, सभी अनुमोदित परियोजनाएं दिनांक 31.03.2026 तक पूरी हो जाएंगी। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने से संबंधित फसलों की फसलोत्तर हानि कम करने तथा किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

1.19 ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के लिए प्राप्त प्रस्तावों की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति को यह नोट करके निराशा हुई कि मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किए जाने के तीन वर्षों के बाद भी बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है और मार्च 2023 तक केवल दो परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को संबंधित राज्य कृषि और अन्य विपणन परिसंघ और अन्य एजेंसियों को शामिल करके किसानों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़कर टमाटर, प्याज और आलू और 'टॉप टू टोटल' योजना में अधिसूचित सभी फलों और सब्जियों के विपणन को संगठित करने के लिए बिना समय गवाए एक रणनीति बनानी चाहिए। मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में यह कहा है कि वे दीर्घकालिक रणनीति के अंतर्गत कई घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, 80 परियोजनाओं को दिनांक 31.03.2026 तक अनुमोदित और पूरा किया जाना है। चयनित उत्पादन क्लस्टरों में 22 फसलों के लिए मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की जाएगी और 80 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाएगा। परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अवधि सामान्य क्षेत्रों के लिए 24 महीने और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 30 महीने होगी और तदनुसार, सभी अनुमोदित परियोजनाओं को दिनांक 31.03.2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समिति को यह आशा है कि अब से अपनी दो-आयामी रणनीति के साथ ऑपरेशन ग्रीन्स की उप-योजना को अपने सभी परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा, विशेष रूप से, 22 फसलों के लिए योजना दिशानिर्देशों में संशोधन के बाद और तत्पश्चात् योजना को जारी रखने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन और सभी प्रतिबद्ध 80 परियोजनाओं का अनुमोदन संबंधित मंत्रालय द्वारा बिना किसी और लापरवाह दृष्टिकोण/प्रवृत्तियों और उनके द्वारा समिति के समक्ष अभी तक इस योजना के अत्यंत सुस्त/खराब और निराशाजनक वास्तविक कार्यनिष्पादन के लिए प्रस्तुत किए गए किसी और बहाने के बिना दिनांक 31.3.2026 तक सभी माध्यमों से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा। अत: समिति पुन: अपनी सिफारिश को दोहराती है कि मंत्रालय को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बिना समय गवाए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए और समिति को इस योजना के कार्यान्वयन में की गई वास्तविक प्रगति से अवगत कराया जाये।

अध्याय – दो

टिप्पणियां / सिफ़ारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

मंत्रालय की अनुदान मांगों (वर्ष 2022-23) का विश्लेषण

सिफ़ारिश सं. 1 (वर्ष 2022-23 के दौरान निधि का पूर्ण उपयोग)

समिति ने नोट किया कि वर्ष 2019-20 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र कथित तौर पर 11.18% की औसत वार्षिक विकास दर से बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्र में से एक है, जिसकी देश में सभी पंजीकृत कारखानों में 12.38% की भागीदारी है। समिति ने पाया कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष कई प्रशंसनीय विकासात्मक पहलें की गई हैं।

समिति ने इन पहलों की सराहना करते हुए यह भी नोट किया कि पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए, मंत्रालय ने क्रमशः 2,200 करोड़ रुपये (845.54 करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर), 1,232.94 करोड़ रुपये (1,152.68 करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर) और 3,490.07 करोड़ रुपये (862.60 करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर) की राशि का प्रस्ताव किया था। लेकिन वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए क्रमशः 1,042.79 करोड़ रुपये, 1,247.42 करोड़ रुपये और 1,304.12 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। समिति यह भी नोट करती कि वर्ष 2022-23 के लिए 3,564.92 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए, जबकि वित्त मंत्रालय द्वारा बीई 2022-23 के लिए केवल 2,941.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

समिति यह चाहती है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मंत्रालय द्वारा की गई मांग के अनुसार आरई (2022-23) में 3,564.92 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध करे।

समिति की यह सुविचारित राय है कि 2019-20 से मंत्रालय आवंटित निधियों का शत-प्रतिशत उपयोग करने में असमर्थ रहा है। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय आबंटित अल्प संसाधनों का शत-प्रतिशत उपयोग करने के लिए अपनी कार्य योजना पहले से तैयार करे और समस्याओं को पूर्णतः दूर करने के लिए उनके समक्ष आ रहे मुद्दों/चुनौतियों पर विचार करे। समिति आशा करती है कि मंत्रालय 2022-23 के दौरान अपने निष्पादन में और सुधार करेगा।

सरकार का उत्तर

माननीय समिति की सिफारिश को वित्त मंत्रालय के साथ उचित समय पर उठाने के लिए नोट किया गया है।

मंत्रालय, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (पीएलआईएस) के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवंटित बजट के उपयोग के स्तर में सुधार के लिए कार्यान्वयन और व्यय की बारीकी से निगरानी कर रहा है।

मंत्रालय ने मई, 2021 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (पीएलआईएस) के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, जिसके लिए मंत्रालय को आरई 2021-22 में 10.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और वित्त मंत्रालय के समक्ष बीई 2022-23 के लिए 1022.00 करोड़ रुपये की मांग का अनुमान लगाया गया और वांछित निधि प्राप्त हुई ।

वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई, पीएलआईएस और गैर-योजना के अंतर्गत आवंटित निधि तथा उसके उपयोग और वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

करोड़ रुपए

योजना	बीई 2021-22	आरई 2021-22	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय	आरई के संदर्भ में %	बीई2022-23
पीएमकेएसवाई	700.00	791.00	713.49	90.20	900.00
पीएमएफएमई	500.00	399.00	326.46	81.82	900.00
पीएलआईएस	0.00	10.00	9.27	92.70	1022.00
गैर-योजना	108.66	104.12	98.17	94.29	119.99
कुल	1308.66	1304.12	1147.39	87.98	2941.99

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन का पैरा 1.7 देखें

मंत्रालय द्वारा उद्धृत समस्या, प्रस्तावों का कम प्राप्त होना, का समाधान खोजना

सिफ़ारिश सं. 2

समिति ने नोट किया कि सभी योजना स्कीमों, विशेष रूप से खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संबंध में, पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए लगातार नकारात्मक अंतर रहा है। समिति ने मंत्रालय के इस उत्तर को भी नोट किया कि मुख्यरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) जैसे अनिवार्य आबंटनों के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होना नकारात्मक अंतर के कारण थे। समिति अपर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होने संबंधी मंत्रालय के तर्क को अस्वीकार्य करती है क्योंकि मंत्रालय को आयोजना के स्तर पर ही समस्या से उबरने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए थे। कम प्रस्तावों की प्राप्ति एक स्थायी समस्या बन गई है जो वर्ष-दर-वर्ष दिखाई देती है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केवल मूकदर्शक बना हुआ है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय 2022-23 के दौरान इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए और तदनुसार समिति को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र से परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के अनिवार्य आवंटन को बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास कर रहा है ताकि इन शीर्षों के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। योजनाओं के दिशा-निर्देश पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमोटरों के लिए अनुमोदित परियोजनाओं को विभिन्न रियायतें प्रदान करते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने और उनके सामने आने वाली समस्याओं/समस्याओं का पता लगाने के लिए एनईआर के प्रमोटरों/निवेशकों के साथ नियमित रूप से आभासी बैठकें आयोजित कर रहा है। मंत्रालय प्रमोटरों/कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने में मदद करने और

कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी से बचने के लिए राज्य सरकारों को यदि आवश्यक हो तो पत्र भी लिखता है।

समिति के निदेश के अनुसार योजना स्तर पर ही इन मुद्दों पर विचार करने के लिए, मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श से प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं की संरचना और तीसरे पक्ष की मूल्यांकन प्रतिवेदन की सिफारिशों की समीक्षा की है। विचार-विमर्श के बाद मंत्रालय ने मेगा फूड पार्क स्कीम, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम, एचआरआई-कौशल विकास योजना और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना के एचएसीसीपी घटक के अंतर्गत किसी भी नई परियोजना को स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का दायरा टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) से बढ़ाकर 22 खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है। पुनर्गठित पीएमकेएसवाई को दिनांक 31.03.2026 तक 4600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। मंत्रालय एनईआर/एससी/एसटी के प्रमोटरों को घटक योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रेरित करने हेतु और अधिक ठोस प्रयास करेगा।

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन का पैरा 1.10 देखें

<u>बजट अनुमान (2022-23) के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन</u>

सिफ़ारिश सं. 3

समिति ने पाया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को इसकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में 2,941.99 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। केन्द्र प्रायोजित योजनाएं/परियोजनाएं हैं प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) हैं; इस योजना के अंतर्गत (i) मेगा फूड पार्क (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (iii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (iv) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (v) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (vi) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अवसंरचना (vii) मानव संसाधन और संस्थान, इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना है।

समिति ने नोट किया कि यद्यपि योजनाएं कार्य कर रही हैं, फिर भी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं हैं। ऐसा इसीलिए हो सकता है कि मंत्रालय की योजनाएं मांग आधारित हैं और जहां भी मांग होती है वहां से योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के कार्यान्वयन से वंचित रह जाते हैं। समिति ने यह भी नोट किया है कि आर्थिक सेवा के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 180 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है, राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में 300 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

समिति महसूस करती है कि चूंकि मंत्रालय की योजनाएं खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रास्फीति और जनता को पौष्टिक भोजन प्रदान करने संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रही हैं, अतः, मंत्रालय देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान आवंटित करके नीति में बदलाव करे, कार्य योजना तैयार करे और 2022-23 के लिए मासिक व्यय योजना के अनुसार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए हमेशा तैयार रहे। समिति महसूस करती है कि यदि सभी क्षेत्रों का विकास किया जाए तो अंततः इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला स्कीम है और यह कोई क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं बल्कि मांग आधारित है। इसके घटक योजनाओं के अंतर्गत समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर चयनित पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । हालांकि इस योजना के तहत कोई राज्यवार अनुदान नहीं दिया जाता है, मंत्रालय देश के सभी क्षेत्रों में एनईआर, आईटीडीपी, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता के साथ परियोजनाओं की सहायता के लिए विशेष प्रयास करता है और उचित प्रचार उपाय किए जा रहे हैं।

पीएमकेएसवाई के अलावा, मंत्रालय सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्र में अनंतिम आवंटन के साथ 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना कार्यान्वित कर रहा है जो इस प्रकार है:

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों का आवंटन
I	**पूर्वोत्तर**	
1	अरूणाचल प्रदेश	307
2	असम	12778
3	मणिपुर	1500
4	मेघालय	949
5	मिजोरम	499
6	नागालैंड	1215
7	सिक्किम	222
8	त्रिपुरा	2531
	उप योग (एनई-8)	**20,000**
I I	**संघ राज्य क्षेत्र**	
9	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ-राज्य क्षेत्र)	100
10	चंडीगढ़ (संघ-राज्य क्षेत्र)	100
1 1	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	100
	(संघ-राज्य क्षेत्र)	
12	दिल्ली (संघ-राज्य क्षेत्र)	613
13	जम्मू और कश्मीर (संघ-राज्य क्षेत्र)	1699
14	लक्षद्वीप (संघ-राज्य क्षेत्र)	100
15	पुदुचेरी (संघ-राज्य क्षेत्र)	169
16	लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश	100
	उप योग (संघ-राज्य क्षेत्र -8)	**2980**
III.	**अन्य राज्य**	
17	आंध्र प्रदेश	11083
18	बिहार	11333
19	छत्तीसगढ	2865
20	गोवा	134
21	गुजरात	8793
22	हरियाणा	4559

23	हिमाचल प्रदेश	1317
24	झारखंड	6040
25	कर्नाटक	11910
26	केरल	4393
27	मध्य प्रदेश	11597
28	महाराष्ट्र	22234
29	ओडिशा	5201
30	पंजाब	7373
31	राजस्थान	7331
32	तमिलनाडु	12128
33	तेलंगाना	5192
34	उत्तर प्रदेश	41779
35	उत्तराखंड	1758
	उप योग (अन्य राज्य-19)	**177020**
	उप योग (संघ-राज्य क्षेत्र +अन्य राज्य-27)	**180000**
	कुल (35)	**200,000**

प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी

सिफ़ारिश सं. 5

समिति पाती है कि कृषि मौसम के दौरान टमाटर 3 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है और अदरक 5 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, जिसके फलस्वरूप किसान अपनी उपज को खेत से निकालते नहीं है क्योंकि निकालने का खर्चा बिक्री मूल्य से बहुत अधिक होता है। प्याज के साथ भी ऐसा ही होता है। चूंकि ये खाद्य पदार्थ देश के नागरिकों की दैनिक आवश्यकता हैं, अतः, समिति का मानना है कि मंत्रालय उन गांवों की पहचान करके तत्काल शीत श्रृंखला स्थापित करे जहां अधिक उत्पादन होता है लेकिन आय का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता है क्योंकि वे एक ऐसी लागत पर बेचने के लिए मजबूर हैं जो बहुत कम है।

समिति चाहती है कि मंत्रालय उन क्षेत्रों में शीतागार की आवश्यकता की पहचान करे जहां कृषि उपज प्रचुर मात्रा में हो रही है लेकिन किसान निधियों की कमी के कारण अपना शीतागार स्थापित नहीं कर सके। मंत्रालय ऐसे मामलों में उन क्षेत्रों में शीत श्रृंखला को प्रायोजित करे जहां उद्यमियों द्वारा शीतागार खोलने की कोई दूरस्थ संभावना

नहीं है। समिति को लगता है कि यदि ऐसा किया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा, खाद्य महंगाई और पूरे वर्ष जनता को पौष्टिक भोजन प्रदान करने और फसल कटाई और कटाई के बाद के नुकसान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटा जा सकता है और इससे अंतत कृषि उत्पादों का निर्यात होगा और देश अच्छी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगा। अतः, मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2016-17 से 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" (संक्षेप में, पीएमकेएसवाई) नामक एक अम्ब्रेला स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेएसवाई की परिकल्पना एक व्यापक पैकेज के रूप में की गई है, जिसके परिणामस्वरूप फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है, बल्कि किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने में भी मदद मिलेगी और यह किसानों की आय को दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि उपज के नुकसान को कम करने, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसल मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक नई उप-योजना के रूप में एक नई योजना 'ऑपरेशन ग्रीन्स' शुरू की गई थी। इस योजना की घोषणा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एफपीओ, कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों के लिए और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह योजना नवंबर 2018 में पायलट आधार पर चयनित समूहों में टॉप फसलों के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के निम्नलिखित दो उपाय हैं -

(क) **अल्पकालिक उपाय -** इस घटक के अंतर्गत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दावेदारों को "भारी स्थिति" के दौरान परिवहन और / या भंडारण सब्सिडी के तहत 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिनांक 11.06.2020 से अल्पकालिक उपायों का दायरा टीओपी (टमाटर, प्याज और आलू) से टोटल (41 अधिसूचित फल और सब्जियां) तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) **दीर्घकालिक उपाय -** इस घटक के अंतर्गत, मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को अनुदान सहायता के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजनाओं को

एकीकृत मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में चयनित समूहों में कार्यान्वित किया जाता है। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अनुसरण में, दीर्घकालीन रणनीति का दायरा टीओपी से 22 जल्दी खराब होने वाले 10 फल, 11 सब्जी और झींगा सहित विस्तारित किया जा रहा है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन क्लस्टरों की पहचान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के उत्पादन आंकड़ों के आधार पर संबंधित फसलों के लिए की गई है और संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद अधिसूचित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत अब तक छह परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक और उप-योजना जो अत्यधिक खराब होने वाले फलों और सब्जियों से संबंधित है, वह है "एकीकृत शीत शृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना" जो वर्ष 2008-09 से कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना का उद्देश्य फार्म गेट से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत शृंखला अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है। इसमें संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ अवसंरचना प्री-कूलिंग, तौल, छंटाई, ग्रेडिंग, फार्म स्तर पर वैक्सिंग सुविधाएं, मल्टी प्रोडक्ट/मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, डिस्ट्रीब्यूशन हब में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, बागवानी के वितरण की सुविधा के लिए मोबाइल कूलिंग यूनिट्स जैविक उत्पाद, समुद्री, डेयरी, मांस और पॉल्ट्री आदि जैसी सुविधाओं का निर्माण शामिल है। यह योजना परियोजना योजना में लचीलेपन की अनुमति देती है जिसमें कृषि स्तर पर शीत शृंखला अवसंरचना के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है। एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना की स्थापना भागीदारी/स्वामित्व फर्मों, कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), गैर-सरकारी संगठनों, केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा की जा सकती है बशर्ते कि योजना दिशानिर्देशों की पात्रता शर्तों को पूरा किया जाए।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उपर्युक्त दोनों उप-योजनाएं वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वित होती रहेंगी।

संशोधित योजना दिशानिर्देश अंतिम रूप देने के चरण में हैं और दिशानिर्देश अधिसूचित होने के बाद नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए ईओआई (अभिरुचि की अभिव्यक्ति) जारी किए जाएंगे।

यह भी नोट किया जा सकता है कि योजनाएं मांग आधारित हैं और इसलिए पात्र और इच्छुक उद्यमियों/प्रवर्तकों से ईओआई के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। तदनुसार, परियोजनाओं को ईओआई के लिए प्राप्त प्रस्तावों में से योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

<u>वर्ष 2021-22 के दौरान मेगा फूड पार्क स्कीम का कार्यनिष्पादन</u>

सिफ़ारिश सं. 7

समिति नोट करती है कि मेगा फूड पार्क स्कीम वर्ष 2008 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। मेगा फूड पार्क की स्कीम का लक्ष्य खेत से बाजार तक मूल्य श्रंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है। इसमें प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना का निर्माण, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (पीपीसीज), संग्रहण केंद्र (सीसी) पर खेत के समीप भंडारण और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र पर सामान्य सुविधाएं और अवसंरचना को सक्षम बनाना शामिल है। इस स्कीम के तहत प्रसंस्करण, पैकेजिंग, पर्यावरण सुरक्षा पद्धति, गुणवत्ता नियंत्रण लैब्स, व्यापार सुविधा केंद्रों आदि के लिए आवश्यकता आधारित सामान्य अवसंरचना के साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों पर स्थित होगीं।

यह योजना सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत पर 50% की दर से और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तर-पूर्व क्षेत्र सिक्किम, जे एंडके, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 75% की दर से और राज्य के आईटीडीपी अधिसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 50 करोड़ रुपए के प्रति परियोजना के पूंजी अनुदान की परिकल्पना करती है।कम से कम 50 एकड़ भूमि मेगा फूड पार्क के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के लिए एसपीवी/आईए के द्वारा कम से कम 75 वर्ष के लिए खरीद कर या लीज/किराए पर लिया जाना है। मेगा फूड पार्क के क्रियान्वयन, स्वामित्व और प्रबंधन का उत्तरदायित्व विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के साथ निहित है जिसमें वित्तीय संस्थान/बैंक, संगठित खुदरा विक्रेता, प्रोसेसर, सेवा प्रदाता, उत्पादक, किसान संगठन और अन्य संबंधित हितधारक और शेयरधारक होंगे। एसपीवी के निजी क्षेत्र संचालित विशेषता को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों की इक्विटी होल्डिंग 26% तक सीमित थी।

यह आशा की जाती है कि औसतन प्रत्येक परियोजना के पास 250 करोड़ रुपए के समेकित निवेश की लगभग 25- 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं जिससे लगभग 450-500 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार होगा और लगभग 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार की उत्पत्ति होगी। प्रत्येक एमएफपी के पूरी तरह चालू होने पर लगभग 25000 किसानों को लाभ मिलेगा। तथापि, प्रत्येक मेगा फूड पार्क के लिए परियोजना का वास्तविक विन्यास कारोबार योजना के आधार पर भिन्न हो सकता है। पैमाने की अर्थनीति को ध्यान में रखते हुए सीपीसी, पीपीसी और सीसी में समग्र निवेश कुल परियोजना के आकार के समानुपाती और अनुरूप होना चाहिए। सरकार द्वारा स्वीकृत 041 मेगा फूड पार्क (एमएफपी) में से 36 एमएफपी परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी गई है और 22 मेगा फूड पार्क चालू हो गया। 2 एमएफपी परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई। चूंकि कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स

एमएफपी स्कीम के पीछे की मंशा को अंतर्विष्ट करने जा रही है चालू परियोजना के लिए प्रतिबद्ध देयता के प्रावधान के साथ इसे 15वें वित्तीय वर्ष के चक्र में बंद करने का प्रस्ताव है।

आरई (2021-22) में 54.37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और 14.02.2022 तक इसका वास्तविक व्यय 31.34 करोड़ रुपए है जो 57.64 प्रतिशत है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित आवंटन 66.80 करोड़ रुपए है और बीई के लिए आवंटन राशि 55.70 करोड़ रुपए है। समिति महसूस करती है कि वर्ष 2008 से अब तक सरकार द्वारा मात्र 41 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं और मात्र 22 परियोजनाएं चालू हैं। इससे पता चलता है कि इस योजना के शुरू हुए 14 वर्ष और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के साथ योजना को प्रतिस्थापित करने संबंधी सरकार के निर्णय के बावजूद इस योजना के लिए प्रतिक्रिया बहुत अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। समिति महसूस करती है कि यह कदम बहुत पहले उठाए जाने चाहिए थे और यह परियोजना सरकार के लिए सफेद हाथी बन गया है।

इसलिए समिति देश के 750 जिलों, विशेषत: सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र, जिलों और दूर-दराज गांवों जहां लोगों के पास तकनीकी सुविधा नहीं है, में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) स्कीम के क्रियान्वयन की सिफारिश करती है। समिति महसूस करती है कि इससे गरीब किसानों को आवश्यक सहायता मिलेगी और इससे अंततः किसान की आय दुगनी हो सकती है।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, उन जिलों को छोड़कर, जहां मेगा फूड पार्क पहले से ही मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है, प्रति जिले में एक कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

तदनुसार, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके देश भर से संभावित एंटीटीज से एपीसी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने वाले प्रस्तावों/आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है।

आज तक, मंत्रालय ने देश के विभिन्न जिलों में 68 एपीसी को मंजूरी दी है और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने 2026 तक 15वें वित्तीय चक्र अवधि के लिए 30 अतिरिक्त एपीसी परियोजनाओं की मंजूरी सहित पीएमकेएसवाई को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सफल एंटीटीज (जब वे इस संबंध में जारी की जाने वाली अभिरुचि की अभिव्यक्तियों के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं) को मंजूरी दी जाएगी। योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एपीसी स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति दी जाएगी । चूंकि एपीसी परियोजनाएं इसमें स्थापित इकाइयों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती हैं, एपीसी परियोजनाओं की सफलता इन इकाइयों के संचालन पर निर्भर करती है।

किसानों/उद्यमियों की आय में वृद्धि होगी क्योंकि एपीसी परियोजनाओं में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कैचमेंट क्षेत्र के कृषि/ बागवानी उत्पादों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

<u>एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम</u>

सिफ़ारिश सं. 8

समिति नोट करती है कि मंत्रालय वर्ष 2008 से एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। यह योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खेत से उपभोक्ताओं तक बिना किसी बाधा के और किसानों के उत्पाद के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और न्यूनतम प्रसंस्करण में दक्षता में सुधार द्वारा नुकसान को कम करने के लिए एकीकृत और पूर्ण शीत श्रृंखला सुविधा का प्रावधान करती है।

समित यह भी नोट करती है कि 2012 में गठित डॉक्टर सौमित्र चौधरी समिति ने देश में 61 मिलीयन टन के शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। कोल्ड स्टोरेज में अंतर लगभग 29 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था।

आगे, शीत श्रृंखला विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीसीडी) के अगस्त, 2015 के एक अध्ययन के अनुसार कोल्ड चेन के लिए 70,000 एकीकृत पैक हाउस 62000 रेफर ट्रक, 35 मिलियन कोल्ड स्टोर (थोक एवं वितरण हब) और 9000 राइपनिंग चैम्बर्स की आवश्यकता है।

समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान 252.58 करोड़ रुपए के आवंटन में से 207.40 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया जो 82.12% है जिसका मतलब है कि मंत्रालय वर्ष 2021-22 के दौरान, 48 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया। उसी प्रकार, वर्ष 2021-22 के दौरान 227.69 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय अब तक 175.26 करोड़ रुपए है और आरई को बढ़ाकर 263 करोड़ रुपए किया गया है।

इसलिए समिति की इच्छा है कि मंत्रालय 2021-22 के दौरान 263 करोड़ रुपए अवश्य खर्च करे और समिति को इस संबंध में अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना की योजना मांग आधारित है, और इसलिए, संबंधित फसलों के पात्र उत्पादन समूहों से मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए उद्यमियों / प्रमोटरों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। तदनुसार, परियोजनाओं को ईओआई के लिए प्राप्त प्रस्तावों में से योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए संबंधित सुविधाओं के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना ऐसे उद्यमियों द्वारा की जाती है और अनुदान जारी करना ऐसी परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन पर निर्भर है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बजट अनुमान के प्रावधान 227.69 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान के प्रावधान 263 करोड़ रुपये की तुलना में कुल 225.29 करोड़ रुपये जारी किए गए, जो कि बीई और आरई प्रावधानों का क्रमशः 98.99% और 85.66% है। निधि का कम उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से पर्याप्त पात्र प्रस्ताव न होने के कारण है।

<u>खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (एकक स्कीम)</u>

सिफ़ारिश सं. 9

समिति नोट करती है कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कृषि खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण और संरक्षण को बढ़ावा देना है और बर्बादी को रोककर और मूल्य संवर्धन के द्वारा प्रसंस्करण की क्षमता को बढ़ाने के विचार से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण/क्षमता में वृद्धि करना है।

इस योजना/स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुदान सहायता के रूप में संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 35% की दर से अधिकतम 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। 31.12.2021 तक 288 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कार्यान्वयन के लिए लिया गया है। 288 इकाइयों में से 112 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां पूर्ण कर ली गई हैं और 176 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 112 पूर्ण खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में से 68 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां इस कैलेंडर वर्ष में पूरी हो गई हैं। 288 इकाइयों के कुल परियोजना लागत के लिए अब तक 3744.06 करोड़ रुपए स्वीकृत है जिसमें 2684.95 करोड़ रुपए का निजी क्षेत्र का निवेश और 1045.22 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता शामिल है। समिति आगे नोट करती है कि शेष 176 परियोजनाओं में से 80 परियोजनाओं को 2022-23 में और शेष 96 परियोजनाओं को 2023-24 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

समिति पाती है कि आरई (2020-21) में 219.30 करोड़ रुपए के आवंटन में 202.84 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय है जो 92.49 प्रतिशत है और कम उपयोग का कारण उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर), अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत अपर्याप्त पात्र प्रस्ताव हैं। वर्ष 2021-22 के लिए भी आरई (2021-22) में 242.50 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं जिसमें से 14.02.2022 तक वास्तविक व्यय 147.49 करोड़ रुपए जो 60.82 प्रतिशत है। कम उपयोग का कारण तीसरा प्रतीक्षित एसडीजी है। समिति यह भी नोट करती है कि कई चरणों में 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए और जिसमें 354 परियोजनाएं स्वीकृत की गई और 66 परियोजनाएं निरस्त/वापस हुई और 112 परियोजनाएं पूरी की गई।

अनुमोदित परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा है- उपभोक्ता उद्योग, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, डेयरी/दुग्ध प्रसंस्करण, मत्स्य और समुद्री जीव प्रसंस्करण, अनाज पिसाई, मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण और तेल मिलिंग हैं। समिति यह भी पाती है कि 2022-23 के लक्ष्यों को पूरा करने को परियोजनाओं की निगरानी समीक्षा/बैठक/भौतिक सत्यापन के द्वारा की जाएगी और परियोजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रमोटर्स की सुविधा प्रदान की जाएगी।

समिति महसूस करती है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और दिन प्रतिदिन अनेक अभिनव प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही हैं जिस पर यदि उचित हो तो विचार किया जा सकता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है मंत्रालय अपनी स्कीम को एक समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का प्रयास करे। समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय अनुदान की मांगों (2022-23) में प्रस्तावित निधियों के उपयोग की मासिक योजना की समय सारणी का पालन करें। समिति यह भी महसूस करती है कि मंत्रालय को पहले से सटीक योजना बनानी चाहिए और आने वाली चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। समिति यह महसूस करती है कि निधियों के कम उपयोग से हर कीमत पर बचा जाए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने 31.03.2022 तक 281 इकाइयों को मंजूरी दी है। इनमें से 139 इकाइयों को पूरा कर लिया गया है और 142 इकाइयां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 139 पूर्ण इकाइयों में से 77 इकाइयां वित्त वर्ष 2021-22 में पूरी हो चुकी हैं। अब तक स्वीकृत 281 इकाइयों की कुल परियोजना लागत 3689.63 करोड़ रुपए है जिसमें निजी निवेश 2661.08 करोड़ रुपए और जीआईए 1028.55 करोड़ रुपए का है। 142 इकाइयों में से, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 80 इकाइयां पूरी हो जाएंगी।

2021-22 के दौरान योजना के तहत 242.50 करोड़ रुपये के आवंटन में से- 238.08 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है, जो कि 98.18% बनता है और निधि के कम उपयोग का कारण पूर्वोत्तर राज्यों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से पर्याप्त प्रस्ताव न होना है। कुल 354 स्वीकृत परियोजनाओं में से 31.03.2022 को 73 परियोजनाओं को रद्द / वापस ले लिया गया था तथा 139 इकाइयों को पूरा किया गया है और 142 इकाइयां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के अंतर्गत 282.80 करोड़ रुपये का आवंटन (बीई) किया गया है। यह मंत्रालय समीक्षा बैठकें, वर्चुअल सत्यापन और नियमित आधार पर भौतिक स्थल निरीक्षण करके भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि समय पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन के साथ साथ निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना स्कीम

सिफ़ारिश सं. 10

समिति नोट करती है कि वर्ष 2017 में शुरू की गई इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन क्षेत्रों के समीप खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाना, खेत से उपभोक्ता तक एकीकृत और पूर्ण परिरक्षण अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करना और संपूर्ण रूप से सुसज्जित श्रृंखला के माध्यम से उत्पादकों/किसानों के समूहों को प्रोसेसर और बाजारों से जोड़कर प्रभावी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाना था।

बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओए) के लिए मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। समिति मंत्रालय के इस उत्तर को भी नोट करती है कि उन्होंने वर्ष 2017-18 में 68 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है और इस स्कीम के प्रारंभ से अब तक मात्र 12 परियोजनाएं ही पूर्ण हुई हैं यह मंत्रालय द्वारा गैर-संतोषजनक आयोजना के साथ-साथ गैर-संतोषजनक कार्यान्वयन को दर्शाता है।

समिति यह भी पाती है कि वर्ष 2020-21 के लिए 56.69 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और वास्तविक व्यय 48.47 करोड़ रुपए था जो 85.50% है और वर्ष 2020-21 के दौरान निधि के कम उपयोग का कारण शायद एससीएसपी और टीएसपी के अंतर्गत अपर्याप्त पात्र प्रस्ताव थे। वर्ष 2021-22 के लिए 53.90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और दिनांक 14.02.2022 तक व्यय मात्र 34.25 करोड़ रुपए था और कम उपयोग का कारण प्रतीक्षित तीसरी एसडीजी है। मंत्रालय द्वारा दिया गया कारण सही नहीं है क्योंकि अनुपूरक डीएफजी केवल अतिरिक्त निधि ही देगा।

समिति महसूस करती है कि 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान पीएमकेएसवाई के पुनर्गठन घटकों में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) स्कीम को चुनौतियों/बाधाओं का समाधान ढूंढ कर योजना को गति और बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस स्कीम को देश के सभी गांवों में कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस स्कीम में परियोजनाओं की स्थापना के लिए समय सीमा का ईमानदारी से पालन करते हुए इस योजना को युद्ध स्तर पर लागू करने का प्रयास करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) अवसंरचना सृजन स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना का विकास करना है ताकि उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन समूहों के विकास का उद्देश्य अधिशेष उपज के नुकसान को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए बागवानी/कृषि उपज में मूल्यवर्धन करना है।

यह देखा गया है कि एपीसी को स्थापित करने से पहले विभिन्न अनुपालनों जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन, भवन लेआउट योजना की स्वीकृति, भूमि का कब्जा और उस पर भार को हटाना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति, ऋण देने वाले बैंक / वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधि ऋण की मंजूरी समय लेने वाली प्रक्रियाएं हैं जिसमें लगभग 6 महीने या उससे भी अधिक समय लगता है। इसलिए, योजना के तहत परियोजनाओं के डेवलपर्स को परियोजनाओं को वास्तव में लागू करने और पूरा करने के लिए केवल 14-18 महीने मिलते हैं (निर्धारित समय-सीमा - सामान्य क्षेत्रों में 20 महीने और दुर्गम क्षेत्रों में 24 महीने)। इसलिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही है। परियोजनाओं के विकासकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को कम करने के लिए, मंत्रालय ने संशोधित एपीसी योजना दिशानिर्देशों दिनांक 04.12.2020 के माध्यम से सामान्य क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को पूरा करने की समय अवधि 20 महीने से बढ़ाकर 24 महीने और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 24 महीने से बढ़ाकर 30 माह कर दी है ।

यह भी नोट किया जा सकता है कि कोविड -19 महामारी के कारण व्यवधानों के बावजूद, इस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-22 के दौरान 38 (अड़तीस) नई परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 68 (अड़सठ) हो गई।

वित्त वर्ष 2021-22 में योजना के तहत बजट अनुमान स्तर पर 37.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 37.50 करोड़ रुपये की आवंटित निधि का योजनान्तर्गत विभिन्न मदों के अन्तर्गत वितरण किया गया (जैसा कि निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है)। जीआईए जनरल (30.00 करोड़ रुपये) और जीआईए टीएसपी श्रेणी (1.30 करोड़ रुपये) को आवंटित धनराशि 14.02.2022 से पहले ही समाप्त हो

चुकी थी। तथापि, जीआईए जनरल के तहत निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता थी और इसलिए मंत्रालय आरई स्तर पर निधियों की प्रतीक्षा कर रहा था। निधियों का आवंटन (बी.ई स्तर पर प्राप्त) तथा आरई स्तर पर निधियां प्राप्त होने से पहले तथा उसके पश्चात व्यय निम्नलिखित है:

बजट शीर्ष	बजट अनुमान	14.02.2022 से पहले वास्तविक व्यय	संशोधित अनुदान	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय
पेशेवर सेवाएं	0.20	0.20	0.40	0.40
सहायता अनुदान- सामान्य	30.00	30.00	42.03	42.03
अनुदान सहायता- सामान्य- एससीएसपी	2.00	0	2.00	1.35
अनुदान सहायता- सामान्य- टीएसपी	1.30	1.30	5.47	1.30
अनुदान सहायता (एनईआर)	4.00	2.7489	4.00	4.00
कुल	37.5	34.2489	53.9	49.08

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पेशेवर सेवाओं, जीआईए जनरल और जीआईए एनईआर योजना के शीर्षों के लिए आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग किया गया था। जीआईए जारी करने के लिए पर्याप्त पात्र प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण केवल जीआईए एससीएसपी और जीआईए टीएसपी शीर्षों में निधियों का कम उपयोग किया गया था। कुल मिलाकर, मंत्रालय ने आरई चरण में आवंटित कुल निधि का 91.05 प्रतिशत उपयोग किया है।

जहां तक प्रस्तावों के चयन का संबंध है, मंत्रालय अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से इच्छुक एंटीटीज से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, उन जिलों को छोड़कर जहां मंत्रालय द्वारा पहले ही मेगा फूड पार्क स्वीकृत किया गया है, प्रति जिले में एक एपीसी स्वीकृत की जा सकती है। इसके अलावा, एपीसी में सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एपीसी में कम से कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता है। ये इकाइयां एपीसी के आसपास स्थित गांवों से प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल का उपयोग कर सकती हैं।

यह उल्लेख किया जाता है कि मंत्रालय नियमित आधार पर समीक्षा बैठकों, वर्चुअल सत्यापन और भौतिक साइट निरीक्षण के माध्यम से भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि धन का समय पर उपयोग और एपीसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन का पैरा 1.16 देखें

अवसंरचना संबंधी योजना में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन

सिफ़ारिश सं. 11

खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन के लिए योजना वर्ष 2005 से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा नियामक गतिविधियों का समर्थन करने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को ध्यान में रखने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। सामान्य/दुर्गम क्षेत्रों में निजी परियोजनाओं के लिए उपकरण हेतु 50 प्रतिशत/70 प्रतिशत की दर से और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत अनुदान समर्थन दिया जाता है। अब तक 175 लैब अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 119 पूर्ण किये जा चुके हैं और 56 कार्यान्वयनाधीन हैं।

समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय देश भर में व्यावसायिक व्यवहार्यता और कैचमेंट एरिया में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की आवश्यकता के आधार पर खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का कैचमेंट एरिया कई प्रशासनिक जिलों को कवर कर सकता है। अब तक, मंत्रालय देश के विभिन्न जिलों में 175 प्रयोगशाला परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर चुका है।

समिति आगे नोट करती है कि दिनांक 23.02.2022 को हुए साक्ष्य के दौरान इस स्कीम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पॉवर-प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के दौरान, यह कहा गया है कि यह स्कीम 15वें वित्त आयोग चक्र में बन्द/विलय हो जाएगी। समिति नोट करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य

पौष्टिक, स्वच्छऔर स्वास्थ्यप्रद है, देश में प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत/ब्लॉक/तालुका स्तर पर खाद्य उत्पादों के परीक्षण के लिए एक अवसंरचना की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न तरीकों से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सहायता और बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन पौष्टिक, स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद है, खाद्य उत्पादों के परीक्षण के लिए व्यापक और आसानी से सुलभ अवसंरचना की आवश्यकता है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन से संबंधित योजना का उद्देश्य कैचमेंट क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की व्यावसायिक व्यवहार्यता और आवश्यकता के आधार पर प्रस्तावों का समर्थन करना है। यह योजना जारी है और मंत्रालय योजना दिशानिर्देशों को संशोधित करने की प्रक्रिया में है और देश के अछूते/आकांक्षी जिलों में प्रस्तावों को अतिरिक्त महत्व देने पर विचार कर रहा है बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव वित्तीय सहायता के अन्य मानदंडों को पूरा करते हों।

यह भी नोट किया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43-45 के अनुसार खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला अवसंरचना की स्थापना और निगरानी को नियंत्रित करता है।

<u>अनुसंधान और विकास</u>

सिफारिश संख्या-12

इस योजना का उद्देश्य यह है कि अनुसंधान एवं विकास कार्य के अंतिम उत्पाद/परिणाम/निष्कर्षों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उत्पाद और प्रक्रिया विकास, कुशल तकनीकों, उन्नत पैकेजिंग और मूल्य वर्धन के साथ व्यावसायिक मूल्य सहित विभिन्न कारकों के मानकीकरण यथा योजक, रंग अभिकर्मक, संरक्षण कारक, कीटनाशक अवशेष, रासायनिक संदूषक, सूक्ष्मजीवविज्ञानी संदूषक और स्वीकार्य सीमा में

प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले विषाक्त पदार्थ के सन्दर्भ में लाभान्वित करें। सरकारी संगठनों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए, अधिकतम तीन वर्ष की विशिष्ट अवधि के परियोजना के विशिष्ट उपकरण लागत, उपभोग्य, श्रमशक्ति, टीए/डीए (एक लाख रुपए तक) और संस्थागत शुल्क (परियोजना लागत के 10 प्रतिशत, अधिकतम 3 लाख रुपय या गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक संगठनों के लिए 5 लाख रुपये) का 100 प्रतिशत सहायता अनुदान दिया गया है। पहले से मौजूद उपकरणों के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी। निजी संगठनों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए, सामान्य क्षेत्रों में उपकरण लागत के लिए 50 प्रतिशत और दुर्गम क्षेत्रों जैसे जेएंडके, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, उत्तर-पूर्व राज्यों, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत अनुदान दिया गया है।

अनुसंधान और विकास स्कीम मंत्रालय द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान शुरू हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना से 11वीं पंचवर्षीय योजना तक स्कीम की शुरुआत के बाद से इस योजना को सीधे मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, यह स्कीम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के तहत कार्यान्वित की गई। 1 अप्रैल, 2017 के बाद से, यह स्कीम/योजना सीधे तौर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा पुन: कार्यान्वित की जा रही है। समिति आगे नोट करती है कि इस स्कीम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 23.02.2022 को साक्ष्य के दौरान पॉवर-प्वाइंट प्रस्तुतीकरण में यह बताया गया है कि यह स्कीम 15वें वित्त आयोग चक्र में बन्द/विलय हो जाएगी। समिति महसूस करती है कि आरएण्डडी स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा व्यवसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी और नवीन उत्पादों और प्रक्रियाओं का एक शेल्फ बनाना है। बाजार में प्रवेश करने वाले नए उत्पाद खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और पोषण सम्बन्धी स्थिति को बढ़ा सकते हैं।

इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस योजना को देश के 750 में से प्रत्येक जिला में एक निश्चित समय में कार्यान्वित करने का प्रयास करें।

सरकार का उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संसाधित खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत अपने आप संसाधित खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य नहीं करता है । परंतु, मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत उत्पाद और प्रक्रिया विकास, उपस्करों के अभिकल्प तथा विकास, उन्नत भंडारण, निधानी आयु, पैकेजिंग आदि के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मांग संचालित अनुसंधान तथा विकास कार्य को बढ़ावा देने तथा निष्पादन करने के लिए आवेदक संगठनों नामत: केंद्र/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/संस्थानों, आईआईटी, सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठनों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तथा निजी क्षेत्र में सीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । उपर्युक्त योजना राज्य/जिला विशेष की नहीं है बल्कि सभी जिलों के लिए है । यह योजना 15वें वित्त आयोग चक्र में जारी है ।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास अत्यन्त विशिष्ट, तकनीकी तथा वैज्ञानिक कार्य है जिसे वही एजेंसियां कर सकती हैं जिनके पास खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कौशल प्राप्त जनशक्ति है तथा वे अनुसधान कार्य के उद्देश्यों के लिए विशिष्ट उपस्करों के संचालन में प्रशिक्षित भी हैं ।

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, उन अनुसंधान तथा विकास परियोजना प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है जो एसएमई तथा किसानों के लिए लाभदायक हैं । इसके अतिरिक्त, इन दिशानिर्देशों में किसी औद्योगिक भागीदार को ऐसी परियोजनाओं से संबद्ध होने के लिए भी प्रावधान है । औद्योगिक भागीदार परियोजना के "परिणाम" को अपनाने/खरीदने/इसका व्यवसायीकरण करने में मदद करता है ।

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दो संस्थान नामत: निफ्टेम, कुंडली, हरियाणा और निफ्टेम, तंजावुर, तमिलनाडु तकनीकी सहायता करने वाले स्कंध हैं जिनके पास प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में विशेषज्ञता है। वे आरएंडडी का कार्य भी कर रहे हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आरएंडडी मांग संचालित कार्य है । देश (इसके किसी भी जिला से) कोई उद्योग/व्यक्ति इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए आगे आ सकता है तथा निफ्टेम, अथवा अन्य संस्थानों (सरकारी अथवा निजी) को सुझाव दे सकता है । उदाहरण के लिए, कोई किसान विश्वविद्यालयों/संस्थानों से अपनी फसलों के लिए नवीन उत्पाद विकसित करने का अनुरोध कर सकता है ताकि उसे अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिले । यह मंत्रालय अपनी आरएंडडी योजना के माध्यम से ऐसे आरएंडडी परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, बशर्ते कि ये प्रस्ताव योजना दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करते हैं ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने आरएंडडी पोर्टल का भी निर्माण किया है ताकि वह अपने उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रौद्यागिकी के विकास एवं देश के विभिन्न खाद्य प्रौद्योगिकी विकास संस्थानों द्वारा नवीनतम नवाचारों को प्रस्तुत कर सके । यह वेबसाइट सभी श्रेणियों के प्रयोक्ताओं यथा उद्यमियों, उद्योंगों, प्रवर्तकों, उपभोक्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों आदि को आसान और व्यापक पहुंच प्रदान करता है । इस प्रकार इस प्रक्रिया द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान समस्याओं को प्रौद्योगिकीय समाधान प्रदान किया जाएगा तथा इस क्षेत्र के विकास खाद्य उत्पादन तथा गुणवत्ता में वृद्धि की जाएगी तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा व्यापार प्रदान किया जाएगा । उम्मीद है कि इस वेबसाइट से मान्यता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण संस्थानों/सरकारी संगठनों तथा देश के सभी जिलों से जानकारी/प्रौद्योगिकी की मांग करने वालों के बीच की दूरी को कम किया जाएगा ।

<u>प्रचार संबंधी गतिविधियाँ</u>

सिफारिश संख्या 13

इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय की योजना, नीति और कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की विभिन्न योजनाओं और मंत्रालय द्वारा विज्ञापन और प्रचार सामग्री, प्रिंट, दृश्य-श्रव्य मीडिया, सोशल मीडिया मंचों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे वेबसाइट, सॉफ्टवेयर का विकास आदि के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे इसके घटकों के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना है, ताकि गैर-वित्तीय शर्तों आदि पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेले, प्रदर्शनी, रोड शो और/या लोगो समर्थन जैसे किसी कार्यक्रम को आयोजित करना / सह-प्रायोजन / प्रायोजन / भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और इस योजना के फोकस क्षेत्र खाद्य उत्पादों और खाद्य सामग्री के प्रसंस्करण, भण्डारण, पैकेजिंग, विपणन और खुदरा बिक्री हैं। समिति ने आगे यह नोट किया है कि इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 23.02.2022 को साक्ष्य सत्र के दौरान की गई पावरपॉइंट प्रस्तुतीकरण के दौरान, यह कहा गया है कि योजना को 15 वें वित्तीय आयोग चक्र में बंद / विलय कर दिया गया है।

समिति महसूस करती है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता और संभावना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय संवर्धनात्मक पहल कर रहा है जिससे अंततः खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास होगा। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को संबंधित राज्यों और

संघ राज्य क्षेत्रों की प्रत्येक स्थानीय भाषा में इस योजना के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए और इसे कार्यान्वित करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय द्वारा विभिन्न उद्योग संघों के साथ सक्रिय सहयोग से संवर्धनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

मंत्रालय वित्तीय सहायता तथा लोगो सहायता प्रदान कर निजी कंपनियों द्वारा आयोजित प्रचार कार्यक्रमों की सहायता करता है । ये प्रचार कार्यक्रम विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित किए जाते है । सामान्यत: बैनर, पोस्टर, रचनात्मक तथा अन्य प्रचार सामग्री अंग्रेजी और हिंदी में प्रदान की जाती है ।

राज्य सरकार तथा उनके संस्थान सहित आयोजनकर्ता संगठनों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस योजना के संबंध में तथा इनके कार्यान्वयन के संबंध में क्षेत्रीय भाषाओं में जागरुकता उत्पन्न करे ।

कौशल विकास

सिफारिश संख्या 14

इस योजना का उद्देश्य निचले स्तर के कामगारों, संचालकों, पैकेजिंग और असेंबली लाइन कामगारों से लेकर गुणवत्ता नियंत्रक पर्यवेक्षकों आदि तक क्षेत्र विशिष्ट कुशल कार्यबल उपलब्ध कराना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन संबंधी आवश्यकता को पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाओं/संगठनों को प्रत्येक कार्य संबंधी भूमिका के लिए प्रिंट और मल्टी-मीडिया दोनों में प्रशिक्षण माड्यूल के विकास के लिए अधिकतम 5.00 लाख रुपए प्रति क्यूपी तक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक कार्य भूमिका के लिए प्रिंट और मल्टी-मीडिया दोनों में 8 वीं अनुसूची के अनुसार मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं में पहले से ही विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुवाद के लिए अधिकतम 0.50 लाख रुपये प्रति क्यूपी तक उपलब्ध है। एनएसडीए/एनएसडीसी मान्य प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनरी की लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, बशर्ते कि प्रति प्रशिक्षण केंद्र अधिकतम 5 प्रशिक्षण मॉड्यूल तक सीमित अधिकतम 15 लाख रुपये प्रति प्रशिक्षण

मॉड्यूल हो। मंत्रालय द्वारा पात्र संस्थाओं/संगठनों को दो समान किस्तों अर्थात् 50% अग्रिम और शेष 50% संस्थान/संगठन द्वारा संयंत्र मशीनरी की खरीद और स्थापना के बाद अनुदान सहायता जारी की जाती है। योजना के पहले परिचालन संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29.11.2017 को जारी किए गए थे।

इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुल 27 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। 26 परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए हैं, जिनमें से 17 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं, जबकि 13 खाद्य प्रसंस्करण रोजगार संबंधी भूमिकाओं के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के विकास/अनुवाद के लिए अनुमोदित 1 परियोजना को भी तकनीकी रूप से पूरा कर लिया गया है और मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। समिति ने आगे यह नोट किया है कि इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 23.02.2022 को साक्ष्य के दौरान किये गये पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के दौरान, इसे कथित तौर पर 15 वें वित्तीय आयोग चक्र में बंद/विलय कर दिया गया है। समिति का यह मानना है कि भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए, कौशल के माध्यम से उनकी क्षमता विकसित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस योजना में आमूलचूल परिवर्तन और इसके कार्यान्वयन का पुरजोर प्रयास करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुरूप, कौशल योजना को, इसे पीएमकेएसवाई का घटक होने के कारण, 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान इसका कार्यान्वयन बंद हो गया है । सूक्ष्म औपचारिक क्षेत्र के लिए कौशल प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण को पीएमएफएमई योजना के माध्यम से शामिल किया जाएगा ।

<u>उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस)</u>

<u>सिफारिश संख्या 16</u>

समिति ने नोट किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31.03.2021 को आयोजित अपनी बैठक में भारत के प्राकृतिक संसाधन सम्पन्नता के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण उद्योगपतियों को तैयार करने के लिए

समर्थन प्रदान करने और 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक और केंद्रीय क्षेत्र योजना, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) को मंजूरी दी। भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत नीति आयोग की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के आधार पर उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) तैयार की गई है। इस योजना को देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्षों की अवधि में लागू करने की योजना बनाई गई है। समिति ने यह भी नोट किया है कि 10 करोड़ रुपये की राशि केवल वर्ष 2021-22 के लिए रखी गई है और 1022 करोड़ रुपये बीई (2022-23) में रखे गए हैं।

समिति ने आगे यह नोट किया है कि इस योजना का पहला घटक चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों अर्थात् पकाने के लिए तैयार, खाने के लिए तैयार (आरटीसी / आरटीई) खाद्य पदार्थ के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। दूसरा घटक लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के अभिनव जैविक उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है। तीसरा घटक इन-स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस किराए पर लेने और विपणन के लिए बड़े भारतीय ब्रांडों को तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन से संबंधित है। इसके अलावा, समिति ने यह नोट किया है कि मंत्रालय ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) संबंधी प्रस्ताव आमंत्रित किया था। समिति ने यह भी नोट किया है कि इस योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से कुल प्राप्त 274 आवेदनों में से श्रेणी-एक (बिक्री आधारित प्रोत्साहन) के लिए 91 श्रेणी-दो (जैविक/अभिनव उत्पाद) के लिए 89 और श्रेणी-तीन (विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन व्यय) के लिए 94 आवेदन प्राप्त हुए थे। श्रेणी-एक के तहत कुल 60 आवेदन, श्रेणी-दो के तहत 12 आवेदन और श्रेणी-तीन के तहत 71 आवेदनों का चयन किया गया था। समिति ने यह भी नोट किया है कि इस योजना के कार्यान्वयन से प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे 33,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रसंस्कृत खाद्य का उत्पादन उत्पन्न किया जा सके और वर्ष 2026-27 तक लगभग 2-5 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया जा सके।

समिति ने यह महसूस किया है कि मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को पूरी गंभीरता के साथ इस योजना को कार्यान्वित करना चाहिए और उत्पादन क्षमता, मूल्य संवर्धन और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ उनके संबंध के संदर्भ में उनके वैश्विक समकक्षों की तुलना में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति

में सुधार करके इस क्षेत्र की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

इस समय मंत्रालय की पीएलआई योजना के अंतर्गत श्रेणी-I के अंतर्गत 56 आवेदन, श्रेणी-II के अंतर्गत 13 आवेदन, तथा श्रेणी – III अंतर्गत 80 आवेदन (श्रेणी-I के साथ 20 उभयनिष्ठ आवेदन) शामिल हैं । इस योजना का कार्यान्वयन छह वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक किया जाएगा तथा इस अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त किए जाने की परिकल्पना है ।

इस योजना के कार्यान्वयन में सहायतार्थ लगी परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नामत: मैसर्स आईएफसीआई लिमिटेड को कहा गया है कि वह आवेदकों द्वारा भरे गए ऑन लाइन तिमाही रिपोर्ट विवरण (क्यूआरआर) द्वारा पीएलआई योजना के अंतर्गत हुई प्रगति की लगातार निगरानी करे । पीएमए की यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है कि कंपनियां योजना के प्रावधानों को स्पष्टत: समझ पाती हैं तथा उनका कार्यान्वयन करती हैं । योजना दिशानिर्देश के प्रावधान के अनुसार मंत्रालय/पीएमए आवश्यकतानुसार चयनित आवेदकों के स्थान का भी दौरा करेगा और उनके द्वारा उनकी उपलब्धि संबंधी दी गई जानकारी की प्रति जांच करेगा ।

जैसा कि माननीय समिति को बताया गया है, इस योजना को सुचारू ढंग से शुरू करने तथा विशेषकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के परिकल्पित उद्देश्य पूरे हो, कंपनियों को न केवल उनकी जवाबदेही के बारे में बल्कि उनके कार्य निष्पादन तथा दावों के संबंध में जानकारी की सत्यता की आवश्यकता के बारे में जानकारी देने हेतु साथ ही समय-समय पर बातचीत की जाती है । चयनित कंपनियों द्वारा उठाई गई शंका के किसी विषय का तत्परता से उत्तर दिया जाता है । मंत्रालय का प्रयास है कि आरंभिक चरण में ही योजना के 'करें' और 'न करें' संबंधी बातें स्पष्ट की जाएं ।

यह भी बताया गया है कि योजना की कार्यावधि के दौरान मंत्रालय का यह भरसक प्रयास होगा कि योजना को सुचारू रूप से चलाने के काम को प्रभावित करने वाले विषयों की पहचान कर उनका त्वरित समाधान किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए योजना पूरी कार्यावधि में सुचारू रूप से चलती रहे, पीएमए के माध्यम से तथा सीधे मंत्रालय द्वारा भी चयनित आवेदकों के साथ नियमित बातचीत की जाएगी।

माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के अंतर्गत अनुमोदन समिति कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों पर विचार करते समय योजना की प्रगति की भी निगरानी करेगी । चूंकि प्रोत्साहन का वितरण निधारित शर्तें पूरी किए जाने के बाद किया जाएगा , चयनित कंपनियों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे अपने दायित्वों को पूरा करे ।

इसके अतिरिक्त, समिति की संपूर्ण निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन की निगरानी अन्य विभागों – नामतः उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा नीति आयोग द्वारा की जाती है ।

<u>अध्याय-तीन</u>

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

<u>कोविड-19 का प्रभाव</u>

सिफारिश संख्या 6

समिति नोट करती है कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में बड़ी संख्या में आबादी को संक्रमित करके दुनिया भर में तबाही मचाई है। कई औद्योगिक क्षेत्रों को पूर्ण लॉकडाउन द्वारा बंद कर दिया गया था। भारत ने भी इस कोविड प्रभाव का सामना किया और खाद्य क्षेत्र इस महामारी की अवधि में भी कार्यशील रहने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में बना रहा। यह तो जगजाहिर है कि बीमारी के आतंक और डर ने कच्चे और साथ ही प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर कोरोना वायरस के प्रभाव के बारे में विभिन्न मिथकों और अफवाहों को जन्म दिया।

समिति कोविड-19 महामारी के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की निरंतर वृद्धि को बनाए रखने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहल की सराहना करती है। संयंत्र के बंद होने के कारण प्रसंस्करण क्षमता में कमी, रसद और कामगारों की आवाजाही में व्यवधान, विनिर्माण स्थलों पर श्रमिकों की उपलब्धता के साथ-साथ मांग में भारी गिरावट, नकदी की कमी, गोदामों को बंद करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों ने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र को प्रभावित किया।

मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन की घोषणा के क्षण ही मंत्रालय ने एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया और खाद्य संबंधी उद्योगों के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ और कार्यबल की स्थापना की जिससे समस्या मुक्त प्रचालन और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। समर्पित कार्यबल ने सैकड़ों इकाइयों को अपने प्रचालन फिर से शुरू करने और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और पूरे देश में भोजन की उपलब्धता बनाए रखने में सुविधा प्रदान करके कार्य की निरंतरता सुनिश्चित की।

अतः समिति महामारी काल के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों और कोविड-19 के प्रभाव का सामना करने के लिए एक मजबूत चट्टान के रूप में डटे रहने की सराहना करती है।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2020 के दौरान, देश कोविड 19 की परवर्ती लहरों से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों से गुजरा, जिसके कारण वर्ष 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वर्ष 2021 और 2022 में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंशिक लॉकडाउन किया गया। कई क्षेत्रों की तरह, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी लॉकडाउन / प्रतिबंधों के दौरान कई बाधाओं से गुजरा। संयंत्र बंद होने के कारण प्रसंस्करण क्षमता में कमी, लॉजिस्टिक्स और श्रमिकों की आवाजाही में व्यवधान, विनिर्माण स्थलों पर श्रम उपलब्धता के साथ-साथ मांग में भारी गिरावट, तरलता की कमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया।

इस संकट के दौरान, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना और पूरे देश में भोजन की उपलब्धता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक रहा है। एमओएफपीआई द्वारा 26 मार्च 2020 को इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक कार्य बल और एक कोविड शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया था , ताकि लॉकडाउन चरणों के दौरान उद्योग की सहायता की जा सके।

प्रकोष्ठ ने 649 कोविड शिकायतों के समाधान में मदद की और 100 से अधिक कंपनियों को अपना संचालन फिर से शुरू करने में सहायता की।

शिकायत प्रकोष्ठ को प्राप्त प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं:

1. संयंत्रों का बंद होना
2. संभारतंत्र संबंधी मुद्दे, उद्योग के लिए कच्चे माल की आवाजाही; गोदामों का बंद होना
3. कामगारों की अनुपलब्धता ; कर्मचारियों और कामगारों की आवाजाही
4. केंद्र और राज्य के प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर स्पष्टीकरण

अध्याय-चार

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

ऑपरेशन ग्रीन्स

सिफारिश संख्या 15

वर्ष 2018-2019 के लिए बजट घोषणा के अनुसरण में, एमओएफपीआई ने 500 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना "ऑपरेशन ग्रीन्स" शुरू की है। इस योजना में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), एग्रीलॉजिस्टिक, प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना में निम्नानुसार दो-आयामी रणनीति है :–

अल्पावधि: मूल्य स्थिरीकरण उपाय (परिवहन और भंडारण - 50% राजसहायता): - फसल कटाई के समय बहुतायतता की स्थिति के दौरान, उत्पादन क्षेत्र से खपत केंद्रों तक अधिशेष उत्पादन को पहुंचाया जाएगा। नेफेड को अल्पकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपायों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा योजना के तहत सभी फलों और सब्जियों के लिए परिवहन सब्सिडी को दिनांक 12.10.2020 से किसान रेल योजना में विस्तारित किया गया था और कोविड महामारी के बीच आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण माननीय वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के एक हिस्से के रूप में दिनांक 11.06.2020 से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत अल्पकालिक उपायों का दायरा टॉप से टोटल (41 अधिसूचित फल और सब्जियां) तक बढ़ा दिया गया था जो माननीय मंत्री द्वारा 10.06.2020 को एसएफसी की सिफारिश के आधार पर किया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, किसान रेल और नेफेड द्वारा निपटाए गए प्रत्यक्ष दावों के माध्यम से परिवहन/भंडारण सब्सिडी के लिए कुल 84.37 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

दीर्घकालिक: मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं (अधिकतम 50 करोड़ रुपये के अध्यधीन पात्र परियोजना लागत के {एफपीओ और एससी/एसटी के लिए 70%} 35%-50%की दर से अनुदान): - एकीकृत मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्रत्येक टॉप फसलों के लिए चयनित

समूहों में परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। उत्पादन समूहों में किसानों को उत्पादन, कटाई के बाद की गतिविधियों, मूल्य संवर्धन और टॉप उत्पाद के विपणन का प्रबंधन करने के लिए एफपीओ में संगठित किया जाएगा। बजट घोषणा 2021-22 के अनुसरण में, दीर्घकालिक रणनीति का दायरा टॉप से 22 खराब होने वाली वस्तुओं तक बढ़ाया जा रहा है। समिति ने यह नोट किया है कि इस योजना के शुरू होने के बाद से प्राप्त 42 प्रस्तावों में से 28 को योजना के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण और अपात्र पाया गया था, 11 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था और 3 मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन हैं। अनुमोदित 11 प्रस्तावों में से, 3 को प्रवर्तकों द्वारा वापस ले लिया गया था, 2 को रद्द कर दिया गया था और 6 परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं और इनमें से 2 परियोजनाओं के मार्च, 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

समिति यह नोट करके निराश है कि इस योजना के शुरू होने के 3 वर्षों के बाद भी इसमें बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है और मार्च, 2023 तक केवल 2 परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है। समिति का यह मानना है कि इतनी धीमी प्रगति के साथ इस योजना का उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है क्योंकि आज की तारीख तक फलों और सब्जियों के उत्पादक को तब अपने उत्पाद को औने-पौने दाम में बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब अधिशेष उत्पादन होता है या शीत भण्डारण की कमी के कारण अपने खराब होने वाले उत्पादों को संग्रहीत करने में सक्षम नहीं होता है।

अत: समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को संबंधित राज्य कृषि और अन्य विपणन परिसंघों, एफपीओ, सहकारी कंपनियों और स्व-सहायता समूहों को शामिल करके किसानों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़कर टमाटर, प्याज और आलू और टॉप टू टोटल स्कीम में अधिसूचित सभी फलों और सब्जियों के विपणन को संगठित करने के लिए बिना समय गवाए एक रणनीति बनानी चाहिए। समिति का यह मानना है कि इससे न केवल खराब होने वाली उपज के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को भी हासिल किया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय दीर्घकालिक रणनीति अर्थात योजना की मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना के अंतर्गत अनेक घटकों यथा एफपीओ का क्षमता निर्माण, गुणवत्ता उत्पादन, फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाओं, भंडारण सुविधाओं, कृषि संभारतंत्रों तथा विपणन अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पंद्रहवां वित्त आयोग चक्र अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान इस योजना को जारी रखने के संबंध में मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 22 फसलों के लिए योजना दिशानिर्देशों का संशोधन किया जा रहा है तथा इसे शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा । मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार 80 परियोजनाओं का अनुमोदन होना है तथा इसे दिनांक 31.03.2026 तक पूरा किया जाएगा । तदनुसार, संशोधित योजना दिशानिर्देशों की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद चयनित उत्पादन क्लस्टरों में 22 फसलों के लिए मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की जाएगी तथा 80 परियोजनाओं का अनुमोदन किया जाएगा । सामान्य क्षेत्र के लिए परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि 24 माह तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 30 माह होगी और तदनुसार, सभी अनुमोदित परियोजनाएं दिनांक 31.03.2026 तक पूरी हो जाएंगी । इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने से संबंधित फसलों की फसलोत्तर हानि कम करने तथा किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

समिति की टिप्पणियाँ

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन का पैरा 1.19 देखें

<u>अध्याय-पाँच</u>

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

<u>खराब होने वाली वस्तुओं का खाद्य प्रसंस्करण</u>

सिफारिश संख्या 4

समिति पाती है कि भारत में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद, खाद्य महंगाई और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा देश में नीति निर्माताओं के लिए प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि वे नागरिकों के लिए पर्याप्त, स्वास्थवर्धक और किफायती भोजन की बुनियादी आवश्यकता को प्रभावित करते हैं।

समिति महसूस करती है कि सीआईपीएचईटी, लुधियाना द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख कृषि उत्पादों की फसल कटाई के दौरान और कटाई के बाद की हानि 92,651 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। देश में अधिकांश आबादी अल्पपोषित है जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि उन्हें किफायती मूल्यों पर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है और इससे उत्पादन के बाद की प्रक्रिया और शीत श्रृंखला प्रबंधन में खामियों का पता चलता है।

समिति महसूस करती है कि हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे नाशवान खाद्य पदार्थों का शेल्फ लाइफ कम होता है और उन्हें एक विशिष्ट तापमान पर रखने की आवश्यकता होती है लेकिन देश भर में अपर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं के कारण फलों और सब्जियों का बड़ा प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। समिति का मानना है कि देश के दूरदराज स्थानों में शीत श्रृंखला भंडारण की स्थापना नहीं की जाती है और कुछ क्षेत्रों में वे सुलभ नहीं हैं क्योंकि कोई उचित अवसंरचना नहीं है।

अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय समस्या की पहचान करके इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करे और खराब होने वाले उत्पादों के लिए शीत श्रृंखला स्थापित करे क्योंकि उन्हें एक विशिष्ट तापमान पर रखना होता है। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए ।

सरकार का जवाब

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2016-17 से 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" (संक्षेप में, पीएमकेएसवाई) नामक एक अम्ब्रेला स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेएसवाई की परिकल्पना एक व्यापक पैकेज के रूप में की गई है, जिसके परिणामस्वरूप फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंनिधि के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है, बल्कि किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने में भी मदद मिलेगी और यह किसानों की आय को दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि उपज के नुकसान को कम करने, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना की दिशा में एक कदम है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसल मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक नई उप-योजना के रूप में एक नई योजना 'ऑपरेशन ग्रीन्स' शुरू की गई थी। इस योजना की घोषणा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एफपीओ, कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों के लिए और पेशेवर प्रबंनिधि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह योजना नवंबर 2018 में पायलट आधार पर चयनित समूहों में टॉप फसलों के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के निम्नलिखित दो उपाय हैं:

(क) <u>अल्पकालिक उपाय</u> - इस घटक के अंतर्गत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दावेदारों को "भारी स्थिति" के दौरान परिवहन और / या भंडारण सब्सिडी 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिनांक 11.06.2020 से अल्पकालिक उपायों का दायरा टीओपी (टमाटर, प्याज और आलू) से टोटल (41 अधिसूचित फल और सब्जियां) तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) <u>दीर्घकालिक उपाय</u> - इस घटक के अंतर्गत, मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को अनुदान सहायता के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजनाओं को एकीकृत मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में चयनित समूहों में कार्यान्वित किया जाता है। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अनुसरण में, दीर्घकालीन रणनीति

का दायरा टीओपी से 22 जल्दी खराब होने वाले 10 फल, 11 सब्जी और झींगा सहित विस्तारित किया जा रहा है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन क्लस्टरों की पहचान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के उत्पादन आंकड़ों के आधार पर संबंधित फसलों के लिए की गई है और संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद अधिसूचित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत अब तक छह परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक और उप-योजना जो अत्यधिक खराब होने वाले फलों और सब्जियों से संबंधित है, वह है "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना" जो वर्ष 2008-09 से कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना का उद्देश्य फार्म गेट से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है। इसमें संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ अवसंरचना प्री-कूलिंग, तौल, छंटाई, ग्रेडिंग, फार्म स्तर पर वैक्सिंग सुविधाएं, मल्टी प्रोडक्ट/मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, डिस्ट्रीब्यूशन हब में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, बागवानी के वितरण की सुविधा के लिए मोबाइल कूलिंग यूनिट्स जैविक उत्पाद, समुद्री, डेयरी, मांस और पॉल्ट्री आदि जैसी सुविधाओं का निर्माण शामिल है। यह योजना परियोजना योजना में लचीलेपन की अनुमति देती है जिसमें कृषि स्तर पर शीत श्रृंखला अवसंरचना के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है। एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना की स्थापना भागीदारी/स्वामित्व फर्मों, कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), गैर-सरकारी संगठनों, केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा की जा सकती है बशर्ते कि योजना दिशानिर्देशों की पात्रता शर्तों को पूरा किया जाए।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उपर्युक्त दोनों उप-योजनाएं वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वित होती रहेंगी।

संशोधित योजना दिशानिर्देश अंतिम रूप देने के चरण में हैं और दिशानिर्देश अधिसूचित होने के बाद नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए ईओआई (अभिरुचि की अभिव्यक्ति) जारी किए जाएंगे।

यह भी नोट किया जा सकता है कि योजनाएं मांग आधारित हैं और इसलिए पात्र और इच्छुक उद्यमियों/प्रवर्तकों से ईओआई के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। तदनुसार, परियोजनाओं को ईओआई के लिए प्राप्त प्रस्तावों में से योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

समिति की टिप्पणियाँ

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन का पैरा 1.13 देखें

<u>प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना</u>

सिफारिश संख्या 17

समिति ने यह नोट किया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मौजूदा माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित 'प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना' शुरू की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई, 2020 को देश भर में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ योजना को मंजूरी दी। आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) का तरीका अपनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के एकत्रीकरण के लिए ढांचा प्रदान करना है। चयनित उत्पाद या तो एक खराब होने वाली कृषि उपज, एक जिले में अनाज आधारित उत्पाद और उनके संबद्ध क्षेत्र हैं। इस योजना का उद्देश्य पूंजीगत निवेश के लिए मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाइयों को सहायता प्रदान करना है। व्यक्तिगत और समूहों दोनों के लिए नई इकाइयां ओडीओपी उत्पादों के समर्थक होंगे। इस योजना में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को सुदृढ़ करने, सामान्य सुविधाओं के प्रावधान, इनक्यूबेशन केंद्रों के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, विपणन और ब्रांडिंग प्रावधान की परिकल्पना की गई है जो मुख्य रूप से ओडीओपी उत्पादों के लिए होंगी। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह नोट किया है कि मंत्रालय ने ओडीओपी के तहत चयनित

उत्पादों को संरेखित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ संयुक्त समिति का गठन किया है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएमएफएमई के ओडीओपी के साथ संरेखित एक जिला एक फोकस उत्पाद (ओडीओएफपी) की अपनी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपनी चल रही केंद्रीय प्रायोजित योजना से 710 अनुमोदित ओडीओपी के साथ गठबंधन किए गए ओडीओएफपी का समर्थन करेगा। इसके अतिरिक्त, पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत 40 ओडीओपी में 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 200.06 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 75 इनक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना को अनुमोदित किया गया है। ओडीओपी और संबद्ध उत्पाद लाइनों में प्रसंस्करण लाइनों की स्थापना के लिए 2.75 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने हाल ही में 60 लाख रुपये के अनुदान की दर से ओडीओपी और खराब होने वाले उत्पाद के लिए मिनी इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना संबंधी दिशानिर्देश अनुमोदित किए हैं। मंत्रालय ने इस योजना के तहत चिह्नित उत्पादों के लिए विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राईफेड) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 7 ओडीओपी ब्रांड केवल नेफेड द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब तक, 486 मास्टर ट्रेनरों, 603 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों, 749 जिला संसाधन व्यक्तियों और 1203 लाभार्थियों को केवल स्थापना के बाद से प्रशिक्षित किया गया है। एसएचजी के प्रति एसएचजी सदस्य 40,000 करोड़ रुपये की दर से आरंभिक पूंजी के लिए सहायता का प्रावधान कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए किया जाता है। आज की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में 265.84 करोड़ रुपये की राशि के लिए 88,564 आरंभिक पूंजी आवेदनों के आंकड़ों का अनुमान लगाया गया है। इसमें से 55,878 आवेदनों को आरंभिक पूंजी जारी करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को 163.10 करोड़ रुपये की राशि के लिए अनुशंसित किया गया है और अब तक एसएनए ने 46,644 एसएचजी सदस्यों के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को 129.40 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

समिति ने यह भी नोट किया है कि इनमें से कुछ खाद्य श्रेणियां वर्तमान में कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अधीन हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमएफएमई का कार्यनिष्पादन, बीई (2021-22) में अब तक 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और आरई (2021-22) में 399 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और

14.02.2022 तक वास्तविक व्यय 280.21 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष (2021-22) के अंतिम 45 दिनों में मंत्रालय द्वारा 110 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की आवश्यकता है।

समिति ने यह भी नोट किया है कि एक वर्ष में केवल 7 उत्पादों की पहचान की गई है। इस गति से समिति का यह मानना है कि देश के सभी 750 जिलों को कवर करने में मंत्रालय को 107 वर्ष लग सकते हैं। इसलिए, समिति मंत्रालय को अगले पांच वर्षों के भीतर सभी 750 जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने की सिफारिश करती है।

सरकार का जवाब

मंत्रालय ने 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 710 जिलों के लिए ओडीओपी का अनुमोदन पहले ही कर दिया है । पश्चिम बंगाल ने इस योजना में अभी तक भाग नहीं लिया है । तीन राज्यों में नव निर्मित जिलों में ओडीओपी का चयन (नागालैंड में 5, आंध्र प्रदेश में 13 और पंजाब में 1) की राज्य-स्तर पर प्रक्रिया जारी है।

ब्रांडिंग तथा विपणन घटक मांग संचालित है । विभिन्न कंपनियों को मंत्रालय के पास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष में 7 परियोजनाओं अर्थात 5 वर्षों में 35 परियोजनाओं को सहायता देने का लक्ष्य है। चार परियोजनाओं का अनुमोदन पहले ही किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर दो परियोजनाओं (नेफेड और ट्राईफेड) तथा पंजाब और महाराष्ट्र से दो परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। नेफेड ने अभी तक 7 उत्पाद लांच किए हैं ।

अपीडा के 32 सामान्य क्लस्टर है और 7 क्लस्टर एमपीडा फोकस उत्पाद के साथ साझा हैं । पीएमएफएमई योजना का ब्रांडिंग तथा विपणन घटक देश भर के प्रत्येक जिला के लिए विभिन्न ब्रांड बनाने की कल्पना नहीं करता है । यह घटक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है । जिसमें एसएचजी/एफपीओ/सहकारिताओं/संघों तथा सूक्ष्म उद्यमों के एसपीवी एक साझा अम्ब्रेला ब्रांड के अंतर्गत एक साथ होते हैं । इसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत इस घटक के माध्मय से आदान की खरीद, साझा सेवाएं तथा विपणन उत्पाद प्राप्त करने के अनुसार लाभ प्राप्त करें तथा घरेलू और अंतराष्ट्रीय बाजारों के निर्माण हेतु विपणन एवं सहायता को बढ़ावा देने में उनकी पहुंच सुगम करें तथा लागत में कमी कर, संसाधनों का इष्टतम उपयोग के साथ उच्चतर लाभ अंतर के अर्जन की संभावनाओं की तलाश करें । इस घटक तथा योजना के उद्देश्य को संरेखित करने का उद्देश्य राज्य-

स्तर के ब्रांड का निर्माण करना है ताकि अधिकतम संख्या में लाभार्थियों को ब्रांडिंग तथा प्रसंस्करण पैकेजिंग, आपूर्ति श्रृंखला संभारतंत्र तथा विपणन में हैंडहोल्डिंग सहायता के माध्यम से बाजार संपर्क से अधिक से अधिक लाभ मिले ।

आज की तारीख के अनुसार , आंरभिक पूंजी जारी किए जाने हेतु राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) के पास 219.44 करोड़ रु. की राशि के लिए 72,731 आवेदनों की सिफारिश की गई है और आज तक एसएनए ने एसएचजी के 47969 सदस्यों के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को 137.54 करोड़ रु. तथा 751 एसएचजी उद्यमों के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) को 19.62 करोड़ रु. जारी किया है ।

कुल 399 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान (2021-22) की तुलना में 326.57 करोड़ रु. का व्यय हुआ है ।

नई दिल्ली;
08 अगस्त,2022
17 श्रावण,1944 (शक)

पी. सी. गद्दीगौदर
सभापति
कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

<u>अनुबंध</u>

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22)

समिति की तेईसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

*****

समिति की बैठक सोमवार, 08 अगस्त, 2022 को 1500 बजे से 1610 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.सी. गद्दीगौदर - सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री अबू ताहेर खान
7. श्री मोहन मंडावी
8. श्रीमती शारदा अनिल पटेल
9. श्री वीरेन्द्र सिंह

<u>राज्य सभा</u>

10. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
11. श्री कैलाश सोनी
12. श्री राम नाथ ठाकुर

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री सुंदर प्रसाद दास	-	निदेशक
3.	श्री अनिल कुमार	-	उप सचिव
4.	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:

*(क) XXXX XXXX XXXX XXXX

*(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 'अनुदानों की मांगो (2022-23)' से संबंधित कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के इकतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रारूप प्रतिवेदन।

3. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के अपनाया तथा समिति ने इन प्रतिवेदनों को संसद को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए सभापति को अधिकृत किया

*4. XXXX XXXX XXXX XXXX

*5. XXXX XXXX XXXX XXXX

*6. XXXX XXXX XXXX XXXX

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*मामला इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

परिशिष्ट

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 4)

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के इकतालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(i) कुल सिफारिशों की संख्या 17

(ii) सिफारिशें/ टिप्पणियाँ, जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और 16

कुल 13

प्रतिशत 76.47%

(iii) सिफारिशें/ टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश संख्या 06

कुल 01

प्रतिशत 05.88%

(iv) सिफारिशें/ टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए है

सिफारिश संख्या 15

कुल 01

प्रतिशत 05.88%

(iv) सिफारिशें/ टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए

सिफारिश संख्या 04 और 17

कुल 02

प्रतिशत 11.77%